

विभिन्न प्रकोष्ठ के नाम, पद एवं कार्य



International Council of Religions

वेबसाइट: www.icr-int.org

अंतरराष्ट्रीय सर्वधर्म परिषद के विभिन्न प्रकोष्ठ

अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रदेश, मण्डल, जिला, तहसील एवं ब्लॉक, एवं ग्राम स्तरीय

क्र० सं०	प्रकोष्ठों के नाम	प्रकोष्ठों के पद	पदों की संख्या
1-	वैश्विक धार्मिक प्रतिनिधि प्रकोष्ठ	प्रकोष्ठ अध्यक्ष	1
		प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष	5
		प्रकोष्ठ महासचिव	1
		मीडिया प्रभारी / जनसंपर्क अधिकारी	3
		कार्यकारिणी सदस्यगण (2-5)	5
		प्रकोष्ठ संयुक्त सचिव	5
2-	युवा सेवा प्रकोष्ठ	प्रकोष्ठ अध्यक्ष	1
		प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष	5
		प्रकोष्ठ महासचिव	1
		मीडिया प्रभारी / जनसंपर्क अधिकारी	3
		कार्यकारिणी सदस्यगण (2-5)	5
		प्रकोष्ठ संयुक्त सचिव	5
3-		प्रकोष्ठ अध्यक्ष	1

	महिला प्रकोष्ठ	प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष	5
		प्रकोष्ठ महासचिव	1
		मीडिया प्रभारी / जनसंपर्क अधिकारी	3
		कार्यकारिणी सदस्यगण (2-5)	5
		प्रकोष्ठ संयुक्त सचिव	5
4-	वयोवृद्ध व मार्गदर्शक प्रकोष्ठ	प्रकोष्ठ अध्यक्ष	1
		प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष	5
		प्रकोष्ठ महासचिव	1
		मीडिया प्रभारी / जनसंपर्क अधिकारी	3
		कार्यकारिणी सदस्यगण (2-5)	5
5-	अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्रकोष्ठ	प्रकोष्ठ अध्यक्ष	1
		प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष	5
		प्रकोष्ठ महासचिव	1
		मीडिया प्रभारी / जनसंपर्क अधिकारी	3
		कार्यकारिणी सदस्यगण (2-5)	5
6-	पूर्व सैनिक एवं सुरक्षा प्रकोष्ठ	प्रकोष्ठ अध्यक्ष	1
		प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष	5
		प्रकोष्ठ महासचिव	1

		मीडिया प्रभारी / जनसंपर्क अधिकारी	3
		कार्यकारिणी सदस्यगण (2-5)	5
		प्रकोष्ठ संयुक्त सचिव	5
7-	शिकायत एवं अनुशासन प्रकोष्ठ	प्रकोष्ठ अध्यक्ष	1
		प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष	5
		प्रकोष्ठ महासचिव	1
		मीडिया प्रभारी / जनसंपर्क अधिकारी	3
		कार्यकारिणी सदस्यगण (2-5)	5
		प्रकोष्ठ संयुक्त सचिव	5
8-	मीडिया एवं प्रचार प्रकोष्ठ	प्रकोष्ठ अध्यक्ष	1
		प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष	5
		प्रकोष्ठ महासचिव	1
		मीडिया प्रभारी / जनसंपर्क अधिकारी	3
		कार्यकारिणी सदस्यगण (2-5)	5
		प्रकोष्ठ संयुक्त सचिव	5
9-	शिक्षा एवं अनुसंधान प्रकोष्ठ	प्रकोष्ठ अध्यक्ष	1
		प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष	5
		प्रकोष्ठ महासचिव	1
		मीडिया प्रभारी / जनसंपर्क अधिकारी	3

		कार्यकारिणी सदस्यगण (2-5)	5
		प्रकोष्ठ संयुक्त सचिव	5
10-	कानूनी सहायता एवं मानवाधिकार प्रकोष्ठ	प्रकोष्ठ अध्यक्ष	1
		प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष	5
		प्रकोष्ठ महासचिव	1
		मीडिया प्रभारी / जनसंपर्क अधिकारी	3
		कार्यकारिणी सदस्यगण (2-5)	5
		प्रकोष्ठ संयुक्त सचिव	5
11-	पर्यावरण एवं प्रकृति संरक्षण प्रकोष्ठ	प्रकोष्ठ अध्यक्ष	1
		प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष	5
		प्रकोष्ठ महासचिव	1
		मीडिया प्रभारी / जनसंपर्क अधिकारी	3
		कार्यकारिणी सदस्यगण (2-5)	5
		प्रकोष्ठ संयुक्त सचिव	5
12-	सेवा और आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ	प्रकोष्ठ अध्यक्ष	1
		प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष	5
		प्रकोष्ठ महासचिव	1
		मीडिया प्रभारी / जनसंपर्क अधिकारी	3
		कार्यकारिणी सदस्यगण (2-5)	5
		प्रकोष्ठ संयुक्त सचिव	5

13-	धार्मिक पर्यटन एवं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ	प्रकोष्ठ अध्यक्ष	1
		प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष	5
		प्रकोष्ठ महासचिव	1
		मीडिया प्रभारी / जनसंपर्क अधिकारी	3
		कार्यकारिणी सदस्यगण (2-5)	5
		प्रकोष्ठ संयुक्त सचिव	5
14-	प्रशासनिक प्रकोष्ठ	प्रकोष्ठ अध्यक्ष	1
		प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष	5
		प्रकोष्ठ महासचिव	1
		मीडिया प्रभारी / जनसंपर्क अधिकारी	3
		कार्यकारिणी सदस्यगण (2-5)	5
		प्रकोष्ठ संयुक्त सचिव	5
15-	सदस्यता प्रकोष्ठ	प्रकोष्ठ अध्यक्ष	1
		प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष	5
		प्रकोष्ठ महासचिव	1
		मीडिया प्रभारी / जनसंपर्क अधिकारी	3
		कार्यकारिणी सदस्यगण (2-5)	5
		प्रकोष्ठ संयुक्त सचिव	5
16-		प्रकोष्ठ अध्यक्ष	1

	विकलांग जनकल्याण प्रकोष्ठ	प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष	5
		प्रकोष्ठ महासचिव	1
		मीडिया प्रभारी / जनसंपर्क अधिकारी	3
		कार्यकारिणी सदस्यगण (2-5)	5
		प्रकोष्ठ संयुक्त सचिव	5
17-	सम्मेलन एवं कार्यशाला प्रकोष्ठ	प्रकोष्ठ अध्यक्ष	1
		प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष	5
		प्रकोष्ठ महासचिव	1
		मीडिया प्रभारी / जनसंपर्क अधिकारी	3
		कार्यकारिणी सदस्यगण (2-5)	5
		प्रकोष्ठ संयुक्त सचिव	5
18-	वित्तीय निरीक्षण एवं लेखा परीक्षण प्रकोष्ठ	प्रकोष्ठ अध्यक्ष	1
		प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष	5
		प्रकोष्ठ महासचिव	1
		मीडिया प्रभारी / जनसंपर्क अधिकारी	3
		कार्यकारिणी सदस्यगण (2-5)	5
		प्रकोष्ठ संयुक्त सचिव	5
19-	शिक्षा एवं नेतृत्व प्रशिक्षण प्रकोष्ठ	प्रकोष्ठ अध्यक्ष	1
		प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष	5
		प्रकोष्ठ महासचिव	1
		मीडिया प्रभारी / जनसंपर्क अधिकारी	3

		कार्यकारिणी सदस्यगण (2-5)	5
		प्रकोष्ठ संयुक्त सचिव	5
20-	धर्मशास्त्र एवं संस्कृति अध्ययन प्रकोष्ठ	प्रकोष्ठ अध्यक्ष	1
		प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष	5
		प्रकोष्ठ महासचिव	1
		मीडिया प्रभारी / जनसंपर्क अधिकारी	3
		कार्यकारिणी सदस्यगण (2-5)	5
		प्रकोष्ठ संयुक्त सचिव	5
21-	साहित्य, अभिलेख एवं सांस्कृतिक दस्तावेजीकरण प्रकोष्ठ	प्रकोष्ठ अध्यक्ष	1
		प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष	5
		प्रकोष्ठ महासचिव	1
		मीडिया प्रभारी / जनसंपर्क अधिकारी	3
		कार्यकारिणी सदस्यगण (2-5)	5
		प्रकोष्ठ संयुक्त सचिव	5
22-	सर्वधर्म ओलंपिक समरसता प्रकोष्ठ	प्रकोष्ठ अध्यक्ष	1
		प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष	5
		प्रकोष्ठ महासचिव	1
		मीडिया प्रभारी / जनसंपर्क अधिकारी	3
		कार्यकारिणी सदस्यगण (2-5)	5
		प्रकोष्ठ संयुक्त सचिव	5

23-	परिवर्तन पथ सेवा प्रकोष्ठ	प्रकोष्ठ अध्यक्ष	1
		प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष	5
		प्रकोष्ठ महासचिव	1
		मीडिया प्रभारी / जनसंपर्क अधिकारी	3
		कार्यकारिणी सदस्यगण (2-5)	5
		प्रकोष्ठ संयुक्त सचिव	5
24-	परिवार समरसता प्रकोष्ठ	प्रकोष्ठ अध्यक्ष	1
		प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष	5
		प्रकोष्ठ महासचिव	1
		मीडिया प्रभारी / जनसंपर्क अधिकारी	3
		कार्यकारिणी सदस्यगण (2-5)	5
		प्रकोष्ठ संयुक्त सचिव	5
25-	जीव दया एवं संरक्षण प्रकोष्ठ	प्रकोष्ठ अध्यक्ष	1
		प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष	5
		प्रकोष्ठ महासचिव	1
		मीडिया प्रभारी / जनसंपर्क अधिकारी	3
		कार्यकारिणी सदस्यगण (2-5)	5
		प्रकोष्ठ संयुक्त सचिव	5
26-		प्रकोष्ठ अध्यक्ष	1

	धार्मिक धरोहर संरक्षण प्रकोष्ठ	प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष	5
		प्रकोष्ठ महासचिव	1
		मीडिया प्रभारी / जनसंपर्क अधिकारी	3
		कार्यकारिणी सदस्यगण (2-5)	5
		प्रकोष्ठ संयुक्त सचिव	5
27-	जल संचयन एवं संरक्षण प्रकोष्ठ	प्रकोष्ठ अध्यक्ष	1
		प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष	5
		प्रकोष्ठ महासचिव	1
		मीडिया प्रभारी / जनसंपर्क अधिकारी	3
		कार्यकारिणी सदस्यगण (2-5)	5
		प्रकोष्ठ संयुक्त सचिव	5
28-	पुरुष सहायता एवं परामर्श प्रकोष्ठ	प्रकोष्ठ अध्यक्ष	1
		प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष	5
		प्रकोष्ठ महासचिव	1
		मीडिया प्रभारी / जनसंपर्क अधिकारी	3
		कार्यकारिणी सदस्यगण (2-5)	5
		प्रकोष्ठ संयुक्त सचिव	5
29-	सर्वधर्म चिकित्सा सेवा प्रकोष्ठ	प्रकोष्ठ अध्यक्ष	1
		प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष	5
		प्रकोष्ठ महासचिव	1
		मीडिया प्रभारी / जनसंपर्क अधिकारी	3

		कार्यकारिणी सदस्यगण (2-5)	5
		प्रकोष्ठ संयुक्त सचिव	5
30-	लोक सूचना एवं जागरूकता प्रकोष्ठ	प्रकोष्ठ अध्यक्ष	1
		प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष	5
		प्रकोष्ठ महासचिव	1
		मीडिया प्रभारी / जनसंपर्क अधिकारी	3
		कार्यकारिणी सदस्यगण (2-5)	5
		प्रकोष्ठ संयुक्त सचिव	5
31-	विश्व अधिवक्ता संवाद प्रकोष्ठ	प्रकोष्ठ अध्यक्ष	1
		प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष	5
		प्रकोष्ठ महासचिव	1
		मीडिया प्रभारी / जनसंपर्क अधिकारी	3
		कार्यकारिणी सदस्यगण (2-5)	5
		प्रकोष्ठ संयुक्त सचिव	5

सभी प्रकोष्ठों के कार्य

क्र० सं०	प्रकोष्ठों के नाम	प्रकोष्ठों के कार्य
1.	वैश्विक धार्मिक प्रतिनिधि प्रकोष्ठ	<p>1. अंतरराष्ट्रीय धार्मिक संवाद का समन्वय विभिन्न धर्मों, पंथों और समुदायों के मध्य Global Interfaith Dialogue को बढ़ावा देना। संयुक्त राष्ट्र UNO, UNESCO, WCRP, KAICIID जैसे संस्थानों के साथ सहयोग। World Interfaith Harmony Week, Religious Peace Summits जैसे आयोजनों में भागीदारी।</p> <p>2. सर्वधर्मीय प्रतिनिधियों का चयन एवं प्रशिक्षण प्रत्येक धर्म से वैश्विक प्रतिनिधियों का मनोनयन करना। धर्मनिरपेक्षता, कूटनीति, वैश्विक मानवाधिकार और धार्मिक कानूनों पर प्रशिक्षण प्रदान करना।</p> <p>3. धार्मिक स्वतंत्रता एवं मानवाधिकार की रक्षा, विदेशों में धार्मिक भेदभाव, उत्पीड़न या दमन के मामलों में Observation Reports तैयार करना।</p> <p>अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की धार्मिक सहिष्णुता और गंगा-जमुनी तहजीब को प्रस्तुत करना।</p>

		<p>4. संस्कृति एवं धार्मिक कूटनीति का संवर्धन भारत की आध्यात्मिक, योग, ध्यान, वेद, सूफी, बौद्ध परंपराओं का वैश्विक मंचों पर प्रचार—प्रसार ।</p> <p>धार्मिक पर्यटन, तीर्थयात्रा, और सांस्कृतिक दूतावासों में संवाद कार्यक्रम आयोजित करना ।</p> <p>5. अंतरराष्ट्रीय धार्मिक विवादों में मध्यस्थता वैश्विक स्तर पर धार्मिक मतभेद या टकराव की स्थिति में शांति स्थापना हेतु मध्यस्थ की भूमिका निभाना ।</p> <p>Faith&Based Peace Building मॉडल पर कार्य करना ।</p> <p>6. विदेशों में बसे भारतीय धर्माचार्यों एवं संस्थाओं से संपर्क अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका एवं एशिया में कार्यरत भारतीय धार्मिक संस्थाओं का नेटवर्क बनाना ।</p> <p>प्रवासी भारतीयों में भारतीय धर्म—संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ाना ।</p>
--	--	--

		<p>7. अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ MoU/सहमति-पत्र का क्रियान्वयन</p> <p>UNO*s Alliance of Civilizations, Religions for Peace, World Council of Churches आदि संगठनों से समझौता ज्ञापन MoU करना और संयुक्त कार्यक्रमों का संचालन करना।</p> <p>8. वैश्विक धार्मिक आपदाओं और मानवीय संकटों में सहायता युद्ध, महामारी या आपदा के समय अंतरधार्मिक सहयोग के माध्यम से राहत शिविर, खाद्य वितरण, प्रार्थना सभा आदि का आयोजन।</p> <p>धार्मिक नेतृत्व द्वारा विश्व शांति और मानवीय मूल्यों हेतु वक्तव्य जारी करना।</p>
2.	युवा सेवा प्रकोष्ठ	<p>1. युवाओं को सेवा कार्यों से जोड़ना</p> <p>रक्तदान, स्वच्छता अभियान, पौधारोपण, स्वास्थ्य शिविर, राहत कार्यों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।</p>

		<p>“सेवा ही धर्म है” को मूलमंत्र बनाकर युवाओं को निःस्वार्थ सेवाभाव से जोड़ना।</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ युवा नेतृत्व विकास कार्यक्रम युवाओं के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण व्यक्तित्व विकास, नैतिक शिक्षा, वक्तृत्व कला आदि विषयों पर कार्यशालाएँ आयोजित करना। ❖ छात्र परिषदों, NSS, NCC, स्काउट-गाइड जैसे मंचों से जुड़ाव स्थापित करना। <p>2. धार्मिक एवं सांस्कृतिक समरसता का प्रचार सर्वधर्म समभाव, जातिवाद-विरोध, सांस्कृतिक विविधता के सम्मान जैसे विषयों पर युवा संवाद व सेमिनार आयोजित करना।</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ “एकता शिविर”, “युवा समरसता यात्रा” जैसे आयोजनों के माध्यम से समावेशी दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। <p>3. डिजिटल सेवा और तकनीकी सशक्तिकरण</p>
--	--	---

		<p>युवाओं को डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा, ई-गवर्नेंस और सामाजिक मीडिया के सकारात्मक उपयोग हेतु प्रशिक्षित करना।</p> <p>ऑनलाइन सेवा प्लेटफॉर्म के संचालन में युवाओं को सम्मिलित करना।</p> <p>4. रोजगार, कौशल और आत्मनिर्भरता में सहयोग स्वरोजगार, स्टार्टअप गाइडेंस, स्किल डवलपमेंट जैसे कार्यक्रमों से युवा जोड़ना।</p> <p>कैरियर काउंसलिंग, इंटरव्यू वर्कशॉप, अप्रेंटिसशिप सहयोग केंद्र स्थापित करना।</p> <p>5. आपदा राहत एवं आपातकालीन सेवा दल बाढ़, भूकंप, महामारी जैसी आपदाओं के समय "युवा सेवा सेना" का गठन कर राहत कार्यों में भागीदारी।</p> <p>प्राथमिक उपचार, आपदा प्रबंधन और स्वैच्छिक सहायता में प्रशिक्षित युवा दल बनाना।</p>
--	--	---

		<p>6. राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय युवा मंचों से जुड़ाव “सर्वधर्म युवा शांति दूत” जैसे अभियान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचालित करना।</p> <p>7. नशा-मुक्ति, लैंगिक समानता, पर्यावरण जैसे सामाजिक विषयों पर अभियान समाज के संवेदनशील विषयों पर युवाओं द्वारा नाट्य, गीत, चित्रकला, सोशल मीडिया कैम्पेन आदि द्वारा जागरूकता फैलाना।</p> <p>8. युवा प्रेरणा मंच / सम्मान योजनाएँ प्रेरणास्पर्द युवा कार्यकर्ताओं को “युवा सेवा सम्मान”, “युवा धर्मदूत पुरस्कार” आदि से सम्मानित करना। रोल मॉडल युवाओं की जीवन यात्रा प्रकाशित करना।</p> <p>9. सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल गतिविधियाँ युवा साहित्य मंच, कविता गोष्ठी, चित्रकला प्रतियोगिता, योग एवं खेल महोत्सव आयोजित करना।</p>
3.	महिला प्रकोष्ठ	1. महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का संचालन

		<p>महिलाओं को शिक्षा, स्वरोजगार, नेतृत्व, स्वास्थ्य और कानूनी अधिकार के प्रति जागरूक करना।</p> <p>आत्मनिर्भरता की दिशा में "महिला उद्यमिता अभियान" चलाना।</p> <p>2. महिला सुरक्षा और कानूनी सहायता प्रकोष्ठ घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, यौन शोषण, तलाक, दहेज जैसी समस्याओं पर कानूनी परामर्श और सहयोग।</p> <p>3. स्वास्थ्य और पोषण पर केंद्रित कार्य मासिक धर्म स्वच्छता अभियान, मातृत्व देखभाल, स्तन कैंसर जांच शिविर, टीकाकरण, आयरन-फोलिक एसिड वितरण।</p> <p>कुपोषण, मानसिक स्वास्थ्य, और प्रजनन स्वास्थ्य पर विशेषज्ञ व्याख्यान एवं स्वास्थ्य शिविर।</p> <p>4. शैक्षिक सहयोग और छात्रवृत्ति योजना निर्धन, विधवा, परित्यक्ता, या बालिकाओं को शिक्षा हेतु सहयोग।</p>
--	--	---

		<p>छात्रवृत्ति योजनाओं, पुस्तक वितरण, करियर गाइडेंस शिविरों का संचालन।</p> <p>5. महिला नेतृत्व विकास एवं संवाद “महिला नेतृत्व मंच”, “महिला संसद”, “महिला जनसंवाद” जैसी बैठकों का आयोजन।</p> <p>पंचायत, नगर निकाय, स्कूल समिति, धार्मिक परिषदों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना।</p> <p>6. महिला सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु कार्य “नारी सम्मान दिवस”, “वीरांगना सम्मान”, “कर्तव्य नारी पदक” जैसे कार्यक्रम।</p> <p>समाज में योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित करना।</p> <p>7. नशा—मुक्ति, बेटी बचाओ, महिला साक्षरता जैसे अभियानों में भागीदारी</p>
--	--	--

		<p>जनजागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक, पोस्टर प्रतियोगिता, कविता पाठ जैसे रचनात्मक प्रयास।</p> <p>ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अभियान चलाना।</p> <p>8. धार्मिक-सांस्कृतिक आयोजनों में महिला सहभागिता</p> <p>महिला भजन मंडली, पर्व-त्योहारों में सक्रिय भागीदारी, धार्मिक सृजनात्मकता (रंगोली, व्रत-कथा, सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ)।</p> <p>"सर्वधर्म नारी सम्मेलन", "नारी सेवा संकल्प यात्रा" जैसे आयोजनों का संचालन।</p>
4.	वयोवृद्ध व मार्गदर्शक प्रकोष्ठ	<p>1. वरिष्ठ नागरिकों के अनुभव एवं ज्ञान को संस्था से जोड़ना</p> <p>पूर्व पदाधिकारियों, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारियों, शिक्षकों, धर्माचार्यों, सैनिकों एवं सामाजिक सेवकों को संस्थागत सलाहकार बनाना।</p>

		<p>“अनुभव संवाद श्रृंखला” आयोजित कर युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन प्रदान कराना।</p> <p>2. संस्था की नीति, परंपरा एवं मर्यादा का संरक्षण संगठन की परंपराओं, आदर्शों और नियमों को भावी पीढ़ी तक पहुँचाना।</p> <p>आंतरिक समीक्षा समिति के रूप में कार्य करते हुए शांति, नैतिकता व अनुशासन का सशक्त पालन सुनिश्चित कराना।</p> <p>3. संवैधानिक, धार्मिक व नैतिक सलाह प्रदान करना प्रकोष्ठ को विधिक, सामाजिक व धार्मिक मामलों में संवैधानिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन देना।</p> <p>विवाद, अनुशासनात्मक कार्रवाई, और वैचारिक असहमति के समय मध्यस्थता करना।</p> <p>4. वयोवृद्धों के लिए सेवा एवं सम्मान कार्यक्रमों का आयोजन</p>
--	--	--

		<p>“वृद्धजन सेवा सप्ताह”, “सन्मान समारोह”, “वरिष्ठजन स्वास्थ्य शिविर” आयोजित करना।</p> <p>असहाय, विधवा, परित्यक्त या बीमार वयोवृद्धों हेतु आश्रय, परामर्श और आवश्यक सहायता।</p> <p>5. धार्मिक एवं सांस्कृतिक निरंतरता सुनिश्चित करना धार्मिक रीति-नीति, परंपरागत अनुष्ठान, शास्त्र, कथा-वार्ता, आदि का संरक्षण।</p> <p>‘धर्म परंपरा अभिलेख परियोजना’ द्वारा स्मृतियों, उपदेशों, जीवनी आदि का संकलन।</p> <p>6. युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत का निर्माण “वयोवृद्ध-युवा संवाद मंच” की स्थापना।</p> <p>नैतिक मूल्यों, जीवन दृष्टिकोण, पारिवारिक संस्कृति और सामाजिक उत्तरदायित्व पर मार्गदर्शन।</p> <p>7. स्वास्थ्य, सुरक्षा और मनोबल का संवर्धन</p>
--	--	--

		<p>वृद्धजनों हेतु स्वास्थ्य शिविर, ध्यान-योग, आयुर्वेदिक परामर्श, चिकित्सा पर सहयोग।</p> <p>अकेले रहने वाले वृद्धों के लिए "संवेदना सेवा टोली" का गठन।</p> <p>8. प्रेरणात्मक लेखन, भाषण, और स्मृति-संकलन वयोवृद्ध सदस्यों की जीवनी, संस्मरण, सेवा-यात्रा को प्रकाशित करना।</p> <p>"मार्गदर्शक पत्रिका", "अनुभव संचयन" जैसे प्रकाशनों को विकसित करना।</p> <p>9. समाज और संस्था के महत्वपूर्ण निर्णयों में भागीदारी संस्थागत संरचना में मानद संरक्षक, प्रमुख सलाहकार, या संस्थागत पिता तुल्य सदस्य के रूप में स्थायी सहभागिता।</p> <p>चुनाव प्रक्रिया, नियुक्ति, नीतिगत संशोधन आदि में मार्गदर्शन।</p>
--	--	--

		<p>10. सामाजिक सेवा में सक्रिय सहयोग धार्मिक अनुष्ठानों, विवाह, दीक्षा, शिक्षा, स्मृति सभा, इत्यादि में प्रमुख मार्गदर्शक की भूमिका निभाना।</p> <p>आश्रम, वृद्धाश्रम, सेवा केंद्रों में परामर्शदाता एवं संरक्षक बनकर सक्रिय रहना।</p>
5.	अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्रकोष्ठ	<p>1. वैश्विक संस्थाओं से रणनीतिक भागीदारी का निर्माण संयुक्त राष्ट्र UNO, UNESCO, WHO, UNHRC, KAICIID, AU, EU, ASEAN जैसे संगठनों से संवाद एवं साझेदारी स्थापित करना।</p> <p>अंतरराष्ट्रीय NGO, धार्मिक परिषदों, व मानवाधिकार मंचों से MoU व सहयोग पत्र पर कार्य करना।</p> <p>2. सर्वधर्मीय अंतरराष्ट्रीय मंचों में सहभागिता World Interfaith Harmony Week, Parliament of World*s Religions, Religions for Peace जैसे आयोजनों में प्रतिनिधित्व।</p>

		<p>अंतरराष्ट्रीय धार्मिक, सांस्कृतिक एवं शांति सम्मेलनों में संगठन की भागीदारी सुनिश्चित कराना।</p> <p>3. विदेशों में शाखाओं / प्रतिनिधियों की नियुक्ति एवं समन्वय विभिन्न देशों में संगठन के आधिकारिक प्रतिनिधियों या संघटक इकाइयों की स्थापना।</p> <p>प्रवासी भारतीयों के बीच संगठन की गतिविधियों को प्रसारित करना।</p> <p>4. अनुवाद एवं बहुभाषिक दस्तावेजों का निर्माण संस्था के दस्तावेज, संविधान, घोषणा-पत्र, ब्रोशर आदि का अंतरराष्ट्रीय भाषाओं (अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, स्पैनिश, जर्मन आदि) में अनुवाद।</p> <p>बहुभाषिक वेबसाइट, पोर्टल और सोशल मीडिया पृष्ठों का संचालन।</p>
--	--	--

		<p>5. संस्कृति, शिक्षा एवं सेवा क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग</p> <p>शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण, सांस्कृतिक पुनर्जागरण आदि विषयों पर वैश्विक सहयोग कार्यक्रमों का आयोजन।</p> <p>स्कॉलरशिप, रिसर्च, और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए विदेशी संस्थाओं से समझौता।</p> <p>6. अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं और निधियों का प्रबंधन</p> <p>CSR Funds, Foreign Grants, Embassy Supported Projects, UNDP Funding आदि योजनाओं के लिए परियोजना प्रस्ताव तैयार करना।</p> <p>दाताओं और प्रायोजकों के साथ पारदर्शी समन्वय स्थापित करना।</p> <p>7. धार्मिक-सांस्कृतिक आदान-प्रदान</p> <p>भारत से संतों, कलाकारों, शिक्षाविदों को विदेश भेजना एवं विदेश से प्रतिनिधियों को आमंत्रित करना।</p>
--	--	---

		<p>8. विविध वैश्विक संकटों में सहयोग आपदा राहत, युद्ध पीड़ितों, मानवीय संकट, धार्मिक उत्पीड़न के मामलों में संस्था की भूमिका का विस्तार।</p> <p>9. प्रेस विज्ञप्तियाँ, अंतरराष्ट्रीय बुलेटिन एवं रिपोर्टिंग हर अंतरराष्ट्रीय गतिविधि की प्रेस विज्ञप्ति, रिपोर्ट व फोटोग्राफिक अभिलेख तैयार करना।</p> <p>"International Harmony Report", "Annual Global Interfaith Bulletin" का प्रकाशन।</p>
6.	पूर्व सैनिक एवं सुरक्षा प्रकोष्ठ	<p>1. पूर्व सैनिकों के अनुभव का संस्थागत उपयोग सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस व रक्षा सेवाओं से सेवानिवृत्त व्यक्तियों को संस्था में रणनीतिक, अनुशासनात्मक और परामर्शदात्री भूमिका देना।</p> <p>"पूर्व सैनिक परामर्श समिति" या "सुरक्षा सलाह परिषद" के रूप में सम्मिलित करना।</p>

		<p>2. संस्था की सुरक्षा योजना एवं आंतरिक अनुशासन का पर्यवेक्षण सभी आयोजनों, सभाओं, यात्राओं और कार्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना।</p> <p>गार्ड, प्रवेश नियंत्रण, CCTV निगरानी और आपातकालीन प्रतिक्रिया की योजना बनाना।</p> <p>3. आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्यों में नेतृत्व भूकंप, बाढ़, अग्निकांड, महामारी आदि संकटों में राहत शिविर, आपात सेवा और पुनर्वास योजना का संचालन।</p> <p>आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण एवं ड्रिल आयोजित करना।</p> <p>4. सेवा निवृत्त सैनिकों की सामाजिक सुरक्षा व सहायता पूर्व सैनिकों के लिए आवास, पेंशन, स्वास्थ्य सेवाएँ, विधिक सहायता आदि विषयों पर सहयोग।</p>
--	--	--

		<p>सैनिकों की विधवाओं, आश्रितों एवं परिवारजनों हेतु कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना।</p> <p>5. विशेष आयोजनों में प्रोटोकॉल और गणमान्य व्यक्तियों की सुरक्षा संस्था के विशिष्ट अतिथियों, संत-महात्माओं, अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों आदि की सुरक्षा योजना बनाना।</p> <p>गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस जैसे आयोजनों की गार्ड ऑफ ऑनर, ध्वजारोहण व्यवस्था।</p> <p>6. संवेदनशील क्षेत्रों में कार्यरत शाखाओं हेतु सुरक्षा सलाह देना जिन राज्यों या क्षेत्रों में सांप्रदायिक तनाव, राजनीतिक संकट या असुरक्षा की स्थिति हो, वहाँ की शाखाओं को सुरक्षा निर्देश, SOP और संचार तंत्र प्रदान करना।</p> <p>7. सैन्य अनुशासन, नेतृत्व एवं प्रशिक्षण आधारित कार्यशालाएँ</p>
--	--	--

		<p>अनुशासन, समयपालन, वर्दी व्यवस्था, आचरण संहिता पर कार्यशालाओं का संचालन।</p> <p>8. राष्ट्रीय सुरक्षा विषयों पर संस्थागत भूमिका आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, सीमा विवाद, आंतरिक सुरक्षा आदि विषयों पर संवेदनशील रिपोर्ट तैयार करना और जनजागरूकता बढ़ाना।</p> <p>9. सम्मान एवं गौरव योजनाएँ “वीर सम्मान समारोह”, “सेना सेवा पदक”, “पूर्व सैनिक योगदान प्रमाणपत्र” जैसी योजनाओं का संचालन।</p> <p>शहीदों के परिवारों को सहायता, श्रद्धांजलि एवं दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा।</p>
7.	शिकायत एवं अनुशासन प्रकोष्ठ	<p>1. सभी प्रकार की शिकायतों का पंजीकरण एवं वर्गीकरण संस्था से जुड़े सदस्यों, कर्मचारियों, पदाधिकारियों अथवा आम नागरिकों द्वारा दी गई लिखित या डिजिटल शिकायतों</p>

		<p>को संवेदनशीलता व प्राथमिकता के आधार पर वर्गीकृत करना ।</p> <p>प्रत्येक शिकायत हेतु अनुक्रमांक (Complaint ID) जारी करना एवं रसीद देना ।</p> <p>2. शिकायतों की प्रारंभिक जाँच एवं पुष्टि प्राप्त शिकायतों की तथ्यात्मक समीक्षा, प्रारंभिक साक्ष्य परीक्षण एवं दोनों पक्षों की बात सुनना ।</p> <p>शिकायत झूठी या दुर्भावनापूर्ण प्रतीत होने पर उसे अस्वीकार करने का अधिकार ।</p> <p>3. अनुशासनहीनता की निगरानी एवं दंड प्रक्रिया संस्था के संविधान, नियमावली या आचरण संहिता का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमित कार्रवाई प्रारंभ करना ।</p> <p>चेतावनी, कारण बताओ नोटिस, निलंबन या निष्कासन जैसी अनुशासनात्मक कार्रवाई का संचालन ।</p>
--	--	--

		<p>4. विशेष अनुशासन समिति का गठन गंभीर मामलों में तीन अथवा पाँच सदस्यीय स्वतंत्र अनुशासन जांच समिति गठित कर निष्पक्ष जांच कराना।</p> <p>गवाहों से पूछताछ, साक्ष्य संकलन, वीडियो/डिजिटल रिकॉर्ड की समीक्षा आदि प्रक्रिया संचालित करना।</p> <p>5. गोपनीयता एवं निष्पक्षता की रक्षा शिकायतकर्ता एवं प्रतिवादी दोनों के अधिकारों की सुरक्षा करते हुए गोपनीय जांच प्रक्रिया सुनिश्चित करना।</p> <p>6. शिकायत समाधान की समयबद्ध प्रक्रिया प्रत्येक शिकायत का निपटारा 7, 15 या 30 दिवस की श्रेणियों में करना (गंभीरता के अनुसार)।</p> <p>लंबित मामलों की मासिक समीक्षा करना।</p> <p>7. शिकायत निवारण पोर्टल/शिकायत बॉक्स संचालन</p>
--	--	--

		<p>ऑनलाइन / ऑफलाइन शिकायत दर्ज करने हेतु शिकायत पोर्टल, ईमेल, टोल फ्री नंबर या शिकायत पेटिका का संचालन।</p> <p>डिजिटल ट्रेकिंग सिस्टम का संचालन करना।</p> <p>8. पुनर्विचार / अपील की व्यवस्था अनुशासनात्मक दंड प्राप्त व्यक्ति को अधीनस्थ अपीलीय प्रकोष्ठ में पुनर्विचार हेतु आवेदन करने का अवसर प्रदान करना।</p> <p>9. अनुशासन जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम संस्था के सभी स्तरों पर अनुशासन, नैतिकता, दायित्वबोध और उत्तरदायित्व पर संवाद एवं प्रशिक्षण आयोजित करना। “शिष्टाचार संहिता”, “कार्यस्थल आचरण निर्देशिका” जैसे दस्तावेज प्रकाशित करना।</p> <p>10. वार्षिक अनुशासन रिपोर्ट तैयार करना</p>
--	--	--

		<p>शिकायतों, निष्पादन, अनुशासनात्मक कार्रवाई और सुधारात्मक सुझावों की वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर प्रबंध निकाय को प्रस्तुत करना।</p>
8.	मीडिया एवं प्रचार प्रकोष्ठ	<p>1. संस्था की गतिविधियों का प्रचार-प्रसार संगठन द्वारा आयोजित सम्मेलन, सेवा कार्य, धार्मिक आयोजनों, योजनाओं एवं उपलब्धियों की समयबद्ध प्रचार रणनीति बनाना और क्रियान्वयन करना।</p> <p>प्रत्येक कार्यक्रम की प्रेस विज्ञप्ति, समाचार रिपोर्ट, फोटो कवरेज व वीडियो डाक्यूमेंटेशन तैयार करना।</p> <p>2. प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल मीडिया समन्वय प्रमुख समाचार पत्र, न्यूज चैनल, रेडियो, वेब पोर्टल, यूट्यूब चैनल, इत्यादि से प्रेस कवरेज सुनिश्चित कराना।</p> <p>पत्रकारों, संपादकों, रिपोर्टरों के साथ संवाद और संबंध बनाए रखना।</p> <p>3. सोशल मीडिया संचालन एवं जागरूकता अभियान</p>

		<p>फेसबुक, ट्विटर (X), इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम आदि प्लेटफॉर्म पर संगठन की उपस्थिति को सक्रिय एवं सशक्त बनाना।</p> <p>#HashtagCampaign, Awareness Reels, Live Sessions, Infographics आदि चलाना।</p> <p>4. ऑफिशियल ग्राफिक्स, ब्रोशर, पोस्टर, और विज्ञापन निर्माण</p> <p>संस्था की पहचान के अनुरूप डिजाइन टेम्पलेट, बैनर, लोगो, समाचार पत्र विज्ञापन, डिजिटल होर्डिंग आदि तैयार करना।</p> <p>प्रचार सामग्री में एकरूपता, तथ्यात्मकता एवं प्रभावशीलता सुनिश्चित करना।</p> <p>5. प्रवक्ता पैनल एवं मीडिया प्रतिनिधियों की नियुक्ति</p> <p>आधिकारिक प्रवक्ताओं, इंटरव्यू प्रतिनिधियों, प्रेस कॉन्फ्रेंस संचालकों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण।</p>
--	--	--

		<p>आवश्यकतानुसार प्रेस उत्तरदायी प्रवक्ता (Press Spokesperson) नियुक्त करना।</p> <p>6. प्रेस विज्ञप्ति, बुलेटिन और न्यूजलेटर प्रकाशन समय-समय पर "साप्ताहिक मीडिया बुलेटिन", "मासिक पत्रिका", "कार्य रिपोर्ट" प्रकाशित करना।</p> <p>"समाचार सारांश", "तथ्य-पत्र", "मीडिया प्रतिक्रिया दस्तावेज" बनाना।</p> <p>7. अफवाह/नकारात्मक प्रचार पर प्रतिक्रिया एवं स्पष्टीकरण किसी विवाद, अफवाह, या मीडिया दुष्प्रचार की स्थिति में तथ्यों पर आधारित प्रेस स्टेटमेंट जारी करना।</p> <p>न्यायिक, शांतिपूर्ण और तथ्यनिष्ठ भाषा में खंडन देना।</p> <p>8. मीडिया आचार संहिता एवं संवेदनशीलता का पालन संगठन की धार्मिक, सामाजिक, जातीय और लैंगिक मर्यादाओं के अनुरूप प्रचार सामग्री का परीक्षण करना।</p>
--	--	--

		<p>अंतर्वस्तु समिति (Content Review Committee) का गठन कर सामग्री अनुमोदन सुनिश्चित करना।</p> <p>9. विशेष प्रचार अभियानों का संचालन Join Us Campaign, Mega Rally Coverage, Youth Awareness Week, Digital Dharma Drive जैसे विशेष मल्टीमीडिया अभियानों को योजना बद्ध रूप से संचालित करना।</p> <p>10. मीडिया प्रशिक्षण एवं संवाद कार्यशालाएँ संगठन के स्वयंसेवकों, प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को प्रभावी बोलचाल, मीडिया इंटरव्यू, प्रेस प्रस्तुति एवं सोशल मीडिया लेखन का प्रशिक्षण देना।</p> <p>“मीडिया-संवाद शिविर”, “डिजिटल कम्युनिकेशन सेमिनार” जैसे कार्यक्रम करना।</p>
9.	शिक्षा एवं अनुसंधान प्रकोष्ठ	<p>1. शैक्षिक जागरूकता और अवसरों का विस्तार निर्धन, वंचित, ग्रामीण और अल्पसंख्यक वर्गों के लिए निःशुल्क शिक्षा सहायता, छात्रवृत्ति एवं कोचिंग कार्यक्रम संचालित करना।</p>

		<p>"विद्यालय प्रवेश अभियान", "ड्रॉपआउट पुर्ननामांकन कार्यक्रम", "बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना" आदि कार्य।</p> <p>2. शोध एवं अकादमिक अध्ययन को प्रोत्साहित करना धर्म, समाज, संस्कृति, मानवाधिकार, पर्यावरण, सेवा कार्य आदि विषयों पर अंतरविषयी शोध परियोजनाएँ चलाना।</p> <p>"शोध अनुदान योजना", "शोध छात्रवृत्ति" और "शोध संस्थान सहयोग" कार्यक्रम।</p> <p>3. शैक्षिक संस्थानों से सहभागिता विश्वविद्यालयों, विद्यालयों, कौशल विकास संस्थानों, रिसर्च सेंटरों आदि के साथ MoU, Guest Lecture, संचालित करना।</p> <p>4. धार्मिक-सांस्कृतिक शिक्षा एवं संवाद युवाओं और छात्रों के लिए "सर्वधर्म शिक्षण पाठ्यक्रम", "नैतिक शिक्षा वर्ग", "संविधान साक्षरता सत्र" जैसे कार्यक्रम चलाना।</p>
--	--	--

		<p>5. नवाचार (Innovation) एवं बौद्धिक मंचों का संचालन "बुद्धि विमर्श", "युवा विचार संगोष्ठी", "शोधार्थी समागम", "Book Review Circle" जैसे साप्ताहिक-बौद्धिक कार्यक्रम।</p> <p>शोध लेखन, केस स्टडी, डेटा विश्लेषण, और नीति ड्राफ्टिंग कार्यशालाएँ।</p> <p>6. प्रकाशन एवं ज्ञान प्रसार कार्य "वार्षिक शोध पत्रिका", "शोध प्रबोधन श्रृंखला", "शैक्षिक समाचार पत्र", "धर्म-संवाद शोध लेख संग्रह" आदि का प्रकाशन।</p> <p>पुस्तकों, मैनुअल, रिसर्च रिपोर्ट और इ-बुक्स का निर्माण।</p> <p>7. शैक्षिक नीति एवं सुधारात्मक सिफारिशें तैयार करना राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP मूल्य आधारित शिक्षा, सर्वधर्म शिक्षण, आचार्य नीति आदि विषयों पर संस्थानिक सिफारिशें व रिपोर्ट तैयार करना।</p>
--	--	---

		<p>शैक्षणिक परिषदों एवं सरकार को ज्ञापन सौंपना।</p> <p>8. परीक्षा, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन शिक्षकों, कार्यकर्ताओं, धर्मगुरुओं के लिए ट्रेनिंग, टॉटक, मूल्यांकन परीक्षा एवं प्रमाणन योजना।</p> <p>9. ई-लर्निंग और डिजिटल पाठ्यक्रम विकास संगठन द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों, कार्यशालाओं एवं व्याख्यानों का ई-प्लेटफॉर्म, वीडियो, ऑडियो, पॉडकास्ट आदि में रूपांतरण।</p>
10.	कानूनी सहायता एवं मानवाधिकार प्रकोष्ठ	<p>1. निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना आर्थिक रूप से कमजोर, वंचित, पीड़ित या उत्पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक प्रक्रिया में निःशुल्क परामर्श, अधिवक्ता सहयोग और दस्तावेज तैयारी उपलब्ध कराना।</p> <p>विधिक साक्षरता शिविर एवं "Know Your Rights" अभियान का संचालन।</p>

		<p>2. मानवाधिकार उल्लंघन की मॉनिटरिंग एवं शिकायत निवारण</p> <p>बच्चों, महिलाओं, वृद्धों, अल्पसंख्यकों, विकलांगों, दलितों, आदिवासियों एवं LGBTQ समुदाय के विरुद्ध मानवाधिकार हनन के मामलों की निगरानी करना।</p> <p>शिकायतों की जांच, रिपोर्ट तैयार करना, आयोगों एवं न्यायालयों में प्रस्तुत करना।</p> <p>3. न्यायिक सहायता प्रकोष्ठों, आयोगों एवं ट्रिब्यूनल्स से समन्वय</p> <p>NALSA, NHRC, SC/ST Commission, Minority Commission, State Legal Services Authorities, UNHRC आदि संस्थाओं से सहयोग स्थापित करना।</p> <p>पीड़ित को संबंधित मंचों पर न्याय दिलाने हेतु मार्गदर्शन देना।</p> <p>4. कानूनी जागरूकता अभियान एवं विधिक शिक्षा</p>
--	--	--

		<p>“विधिक साक्षरता सप्ताह”, “मानवाधिकार दिवस”, “संविधान दिवस” पर जन संवाद, कार्यशालाएं, पोस्टर प्रतियोगिता, मोबाइल वैन के माध्यम से जागरूकता फैलाना।</p> <p>बच्चों व किशोरों हेतु बाल अधिकार, POCSO, बाल विवाह अधिनियम पर विशेष सत्र।</p> <p>5. विशेष विधिक सहायता शिविरों का आयोजन तलाक, घरेलू हिंसा, जमीन विवाद, संपत्ति अधिकार, वृद्धावस्था सुरक्षा, मजदूरी अधिकार आदि विषयों पर प्रायोजित विधिक शिविर एवं ADR (Alternative Dispute Resolution) पद्धति का प्रयोग।</p> <p>जेलों, बालगृहों, शरणगृहों व पुनर्वास केंद्रों में शिविर लगाना।</p> <p>6. मानवाधिकार रिपोर्टिंग एवं अभिलेख तैयार करना मानवाधिकार उल्लंघन मामलों की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट, वार्षिक मानवाधिकार अवलोकन रिपोर्ट, एवं सार्वजनिक रिपोर्ट कार्ड प्रकाशित करना।</p>
--	--	---

		<p>जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय मंचों पर रिट याचिकाएं दाखिल करना।</p> <p>7. संविधानिक मूल्यों की स्थापना में भूमिका संस्था के भीतर न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों की रक्षा हेतु सतत निगरानी रखना।</p> <p>जातीय भेदभाव, भाषायी उत्पीड़न, धार्मिक कट्टरता एवं लिंग आधारित असमानता का विरोध करना।</p> <p>8. मानवाधिकार संरक्षक/परामर्शदाताओं की नियुक्ति जिला/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर "मानवाधिकार प्रतिनिधि" या सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति।</p> <p>9. कानूनी दस्तावेजों की सहायता और सत्यापन कार्य अफिडेविट, कानूनी नोटिस, RTI आवेदन, PIL ड्राफ्टिंग, पुलिस शिकायतें, कोर्ट याचिकाएं आदि की तैयारी और मार्गदर्शन।</p>
11.	पर्यावरण एवं प्रकृति संरक्षण प्रकोष्ठ	<p>1. वृक्षारोपण एवं हरियाली संवर्धन कार्यक्रम सार्वजनिक स्थलों, विद्यालयों, धार्मिक परिसरों एवं वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण अभियान चलाना।</p>

		<p>"एक सदस्य-एक वृक्ष", "पंचवटी योजना", "ग्राम वन संरक्षण योजना" जैसी गतिविधियाँ चलाना।</p> <p>2. जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का प्रचार व स्थापना।</p> <p>"जल जागरूकता पदयात्रा", "पानी बचाओ संवाद", "तालाब/बावड़ी पुनर्जीवन योजना" जैसी पहलें।</p> <p>3. कचरा प्रबंधन और प्लास्टिक मुक्त अभियान सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध, वेस्ट सेगरेगेशन, रीसाइक्लिंग व कम्पोस्टिंग पर जनजागरूकता।</p> <p>"प्लास्टिक मुक्त मंदिर परिसर", "कचरा जागरूकता दिवस" का आयोजन।</p> <p>4. वायुप्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं प्रदूषण नियंत्रण गतिविधियाँ</p>
--	--	---

		<p>ध्वनि यंत्रों, पटाखों, वाहनों आदि के प्रयोग पर प्रदूषण नियंत्रण जागरूकता अभियान।</p> <p>स्वच्छ वायु संवाद, ग्रीन ट्रांसपोर्ट प्रोत्साहन, ईंधन बचत सप्ताह आदि चलाना।</p> <p>5. वन्य जीव एवं जैव विविधता संरक्षण पक्षियों, पशुओं, जलजीवों आदि के संरक्षण हेतु प्राकृतिक आवासीय क्षेत्रों का संरक्षण, बर्ड फीडिंग जोन, वाटर ट्रफ, नेस्टिंग अभियान आदि चलाना।</p> <p>“प्राणी मित्र अभियान”, “सांप बचाओ कार्यशाला”, “बैल-गाय संरक्षण संवाद” आदि।</p> <p>6. पर्यावरण शिक्षा एवं जनजागरूकता कार्यक्रम विद्यालयों, महाविद्यालयों और मंदिरों में पर्यावरण संरक्षण पाठशाला, ग्रीन क्लब, ईको-ब्रिगेड स्थापित करना।</p> <p>“विश्व पर्यावरण दिवस”, “पृथ्वी दिवस”, “पर्यावरण संवाद सप्ताह” मनाना।</p>
--	--	--

		<p>7. स्वच्छता अभियान एवं प्रदूषण नियंत्रण गतिविधियाँ सार्वजनिक स्थलों, नदी/तालाब घाटों, तीर्थ स्थलों, स्कूलों आदि में स्वच्छता अभियान चलाना।</p> <p>“स्वच्छ परिसर योजना”, “हर रविवार स्वच्छता दिवस”, “साफ नदी-पवित्र परंपरा” जैसे आयोजन।</p> <p>8. नीति प्रस्ताव व पर्यावरण संरक्षण सिफारिशें तैयार करना राज्य, केंद्र या नगर निकायों को पर्यावरणीय संरक्षण हेतु ज्ञापन, नीति सुझाव या जन सुनवाई रिपोर्ट सौंपना।</p> <p>जनहित याचिकाएं, पर्यावरणीय मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करना।</p> <p>9. प्राकृतिक आपदा संरक्षण और जलवायु परिवर्तन पर कार्य</p>
--	--	---

		<p>बाढ़, सूखा, चक्रवात जैसी आपदाओं के संदर्भ में जन-संरक्षण कार्य, राहत सामग्री व्यवस्था, प्रशिक्षण शिविर चलाना।</p> <p>“जलवायु चेतना रथ”, “कार्बन न्यूट्रल क्षेत्र अभियान” आदि।</p> <p>10. धार्मिक एवं पारंपरिक रीति के साथ पर्यावरणीय जोड़</p> <p>“धार्मिक वृक्ष पूजन अभियान”, “गोवर्धन पूजा – प्रकृति पूजन”, “गंगा आरती व संरक्षण” जैसी गतिविधियाँ।</p> <p>धर्माचार्यों द्वारा पर्यावरण पर उपदेश, मंत्र व जप द्वारा पर्यावरण संतुलन की प्रेरणा।</p>
12.	सेवा और आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ	<p>1. आपदा राहत कार्यों का त्वरित संचालन</p> <p>प्राकृतिक आपदाओं (बाढ़, भूकंप, सूखा, चक्रवात, भूस्खलन, महामारी आदि) के समय तत्काल राहत टीम (Rapid Response Team) का गठन।</p>

		<p>राशन वितरण, शरण स्थलों की स्थापना, प्राथमिक उपचार, परिवहन सहायता का आयोजन।</p> <p>2. आपदा पूर्व तैयारी (Preparedness) प्रशिक्षण कार्यक्रम आपदा पूर्व चेतावनी, प्राथमिक उपचार, अग्नि सुरक्षा, सीपीआर, बचाव तकनीक आदि पर प्रशिक्षण शिविर एवं मॉक ड्रिल आयोजित करना।</p> <p>“आपदा साक्षरता अभियान” और “जन सुरक्षा संवाद” चलाना।</p> <p>3. सेवा शिविर एवं मानवीय सहायता कार्यक्रम निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान शिविर, भोजन वितरण, वस्त्र वितरण, आवास सहायता शिविर आदि का आयोजन।</p> <p>“गरीब सेवा पखवाड़ा”, “निर्धन जनकल्याण दिवस”, “नारी सेवा रथ” जैसे कार्यक्रम।</p> <p>4. स्थानीय एवं अंतरराष्ट्रीय आपदा सहायता नेटवर्क</p>
--	--	---

		<p>विदेशी सहायता, राहत सामग्री के ट्रांसपोर्ट व वितरण का प्रबंधन।</p> <p>5. मानवजनित आपदाओं में सहायता दंगे, विस्थापन, विस्फोट, दुर्घटनाएं, ट्रेन दुर्घटनाएं, औद्योगिक दुर्घटनाएं जैसी मानवजनित आपदाओं के समय त्वरित सहायता।</p> <p>शोक परामर्श, मनोवैज्ञानिक सहायता एवं पुनर्वास सहयोग।</p> <p>6. स्थायी पुनर्वास कार्य और पुनर्निर्माण प्रयास विस्थापितों हेतु आवास निर्माण, स्कूल/शौचालय/सामुदायिक केंद्र निर्माण, जीविका कार्यक्रम इत्यादि।</p> <p>“सेवा पुनर्निर्माण परियोजना”, “आशा केंद्र” जैसी योजनाओं का संचालन।</p> <p>7. सेवा-आधारित युवाओं की प्रशिक्षण एवं तैनाती योजना</p>
--	--	---

		<p>"आपदा स्वयंसेवक रजिस्ट्रेशन अभियान", "सेवा मित्र योजना", "युवा राहत दल" आदि का गठन।</p> <p>प्रशिक्षित युवाओं को ग्राम स्तर से राज्य स्तर तक सेवा-कार्य हेतु नियुक्त करना।</p> <p>8. सेवा मूल्य आधारित राष्ट्रीयधार्मिक अभियान मानव सेवा – ईश्वर सेवा के सिद्धांत पर आधारित पवित्र तिथियोंधृत्योहारों पर सेवा कार्यक्रम आयोजित करना।</p> <p>"एक दिन सेवा को समर्पित", "त्योहार सेवा अभियान", "शोक से सेवा की ओर" जैसे अभियान।</p> <p>9. आपदा सहायता कोष एवं संसाधन प्रबंधन "आपदा राहत कोष" (Disaster Relief Fund) का निर्माण, पारदर्शी वित्त प्रबंधन।</p> <p>राहत सामग्री (तम्बू, राशन, दवा, जल आपूर्ति, वस्त्र, बैग, चप्पल, सैनिटेशन किट आदि) का स्टॉक तैयार रखना।</p>
--	--	---

		<p>10. राहत रिपोर्टिंग एवं अभिलेखन प्रत्येक राहत अभियान की फोटो रिपोर्ट, खर्च विवरण, सेवा प्रतिवेदन, गवाहों के वक्तव्य तैयार करना।</p> <p>“वार्षिक सेवा एवं आपदा राहत दस्तावेज”, “सेवा संवाद पत्रिका” का प्रकाशन।</p>
13.	धार्मिक पर्यटन एवं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ	<p>1. धार्मिक स्थलों का पर्यटन—उन्मुख संवर्द्धन प्राचीन मंदिरों, मठों, तीर्थ स्थलों, सूफी दरगाहों, गुरुद्वारों, चर्च आदि का धार्मिक मानचित्रण (Spiritual Mapping) करना।</p> <p>“तीर्थ दर्शन यात्रा”, “सर्वधर्म सांस्कृतिक भ्रमण” आदि योजनाओं का संचालन।</p> <p>2. सांस्कृतिक उत्सवों और धार्मिक महोत्सवों का आयोजन रामनवमी, महाशिवरात्रि, गुरुपर्व, मोहर्रम, बुद्ध पूर्णिमा, क्रिसमस आदि को सर्वधर्म समरसता समारोह के रूप में मनाना।</p>

		<p>“अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक महोत्सव”, “संस्कृति संवाद सप्ताह”, “धार्मिक विरासत यात्रा” जैसे आयोजनों का संचालन।</p> <p>3. तीर्थ क्षेत्र सुधार एवं तीर्थ सेवा योजना तीर्थ स्थलों की स्वच्छता, पौधारोपण, यात्री सुविधा, शौचालय, जल आपूर्ति आदि हेतु “तीर्थ सेवा टीम” का गठन।</p> <p>स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर आस्थावानों के लिए अनुकूल व्यवस्थाएँ कराना।</p> <p>4. धार्मिक पर्यटन गाइड और सूचना संसाधन धर्म आधारित पर्यटन पुस्तिका, डिजिटल एप्लिकेशन, वॉइस गाइड, नक्शा, मल्टी-लैंग्वेज ब्रोशर आदि का विकास।</p> <p>“संस्कृति परिचय केंद्र” की स्थापना – जहाँ प्रत्येक धर्म के स्थल की जानकारी उपलब्ध हो।</p> <p>5. सांस्कृतिक धरोहर का अभिलेखन और संरक्षण</p>
--	--	---

		<p>मंदिर स्थापत्य, भित्ति चित्र, लोकगीत, संत साहित्य, कथा परंपरा, वाद्ययंत्र, वेषभूषा आदि का डिजिटल व अभिलेखीय संरक्षण।</p> <p>“परंपरा-संवर्धन ग्रंथमाला” और “लोक विरासत अभिलेख” परियोजना।</p> <p>6. युवा सांस्कृतिक दल एवं तीर्थ सेवा समूह स्थानीय युवाओं को तीर्थ गाइड, सांस्कृतिक स्वयंसेवक, धर्म यात्रा सहायक आदि के रूप में प्रशिक्षित करना।</p> <p>“युवा संस्कृति मंच”, “धर्म संवाद दल” और “तीर्थ सुरक्षा सेवा” का गठन।</p> <p>7. आस्थात्मक टूरिज्म को रोजगार से जोड़ना तीर्थ क्षेत्रों में स्थानीय कारीगरों, पर्यटन गाइड, हस्तशिल्प, फूड सर्विस आदि के माध्यम से रोजगार सृजन।</p> <p>महिला समूहों हेतु तीर्थ-आधारित कुटीर उद्योग सहयोग।</p>
--	--	--

		<p>8. सांस्कृतिक शिक्षा और संवाद मंचों का संचालन "धर्म संवाद श्रृंखला", "सांस्कृतिक चित्र प्रदर्शनी", "लोक गीत प्रतियोगिता", "विरासत व्याख्यान" आदि कार्यक्रम।</p> <p>विद्यालयों और महाविद्यालयों में "संस्कृति सप्ताह" और "तीर्थ परिचय दिवस" का आयोजन।</p> <p>9. सर्वधर्म समरसता आधारित पर्यटन योजना एक ऐसी तीर्थ यात्रा योजना जिसमें सभी धर्मों के महत्त्वपूर्ण स्थलों को जोड़ा जाए – जैसे "सर्वधर्म शांति यात्रा", "गंगा से काबा तक" या "बोधगया से वेटिकन तक" थीम।</p> <p>10. अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान विदेशों में भारतीय धर्म स्थलों की जानकारी प्रचारित करना एवं अंतरराष्ट्रीय तीर्थ आगंतुकों के लिए सेवा प्रकोष्ठ बनाना।</p>
14.	प्रशासनिक प्रकोष्ठ	<p>1. संस्था के दैनिक प्रशासनिक कार्यों का संचालन संगठन की सभी इकाइयों, कार्यालयों एवं प्रकोष्ठों की दैनिक गतिविधियों, पत्राचार, फाइल प्रबंधन, निर्देश प्रसारण एवं समन्वय का उत्तरदायित्व।</p>

		<p>कार्यपालिकाओं और समितियों के निर्देशों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करना।</p> <p>2. संगठनात्मक दस्तावेजों का संधारण एवं अनुशासन मीटिंग मिनट्स, नोटशीट्स, ज्ञापन, नोटिफिकेशन, आदेश, कार्यालय पत्र, नियुक्ति आदेश, सेवा नियमावली आदि दस्तावेजों का संधारण एवं अनुक्रमण।</p> <p>सभी फाइलों का क्रमबद्ध रजिस्ट्रेशन और सुरक्षित संग्रहण।</p> <p>3. कार्यालयीन अनुशासन, उपस्थिति एवं कार्यविभाजन मुख्यालय, राज्य शाखा एवं प्रकोष्ठों में कर्मचारी उपस्थिति, समयपालन, कार्य वितरण, दायित्व निर्धारण एवं आचरण नियमों की निगरानी।</p> <p>“कार्यालय संचालन मैनुअल” तथा “प्रशासनिक आचार संहिता” का अनुपालन।</p> <p>4. आंतरिक आदेशों एवं अधिसूचनाओं का निष्पादन</p>
--	--	---

		<p>संगठन द्वारा जारी अधिसूचनाएं, कार्यादेश, नियुक्ति पत्र, स्थानांतरण आदेश, कारण बताओ नोटिस आदि का विधिसंगत निष्पादन।</p> <p>त्वरित संवाद प्रणाली द्वारा सभी इकाइयों को सूचना संप्रेषण।</p> <p>5. मीटिंग, बैठकों और अधिवेशनों का समन्वय मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक बैठकें, बोर्ड मीटिंग, विशेष अधिवेशन आदि का एजेंडा, निमंत्रण, उपस्थित रजिस्टर, कार्यवृत्त निर्माण।</p> <p>ऑनलाइन/ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर सुचारु आयोजन सुनिश्चित करना।</p> <p>6. मानव संसाधन एवं नियुक्ति प्रक्रिया का पर्यवेक्षण संगठन में नवीन नियुक्तियों, अनुबंध, अवकाश व्यवस्था, कार्य मूल्यांकन एवं कर्मचारी सेवा पुस्तिका का रखरखाव।</p> <p>आंतरिक विवादों का समाधान एवं कर्मचारी कल्याण योजना का संचालन।</p>
--	--	---

		<p>7. संपत्ति व संसाधनों का प्रशासनिक प्रबंधन कार्यालय, भवन, फर्नीचर, स्टेशनरी, वाहन, उपकरण, तकनीकी वस्तुएँ आदि का संपत्ति रजिस्टर एवं भौतिक सत्यापन।</p> <p>स्टोर और लॉजिस्टिक्स का तर्कसंगत उपयोग।</p> <p>8. प्रशासनिक लेखा-जोखा एवं वित्तीय समन्वय प्रशासन से संबंधित बजट, व्यय स्वीकृति, बिल पासिंग, खरीद आदेश, भुगतान प्रक्रिया में समन्वय।</p> <p>ऑडिट टीम के समक्ष प्रशासनिक खर्चों का लेखा प्रस्तुत करना।</p> <p>9. संवेदनशील प्रकरणों एवं गोपनीय दस्तावेजों की देखरेख संगठन के गोपनीय रिकॉर्ड, अनुशासनात्मक नोटिस, पदाधिकारी जांच विवरण, अपील फाइलों का गोपनीय स्तर पर संधारण एवं रिपोर्टिंग।</p>
--	--	---

		<p>10. संविधान व नियमों के अनुपालन की निगरानी संगठन के संविधान, उपविधियों, कार्यविनियमों का सभी शाखाओं, प्रकोष्ठों और पदाधिकारियों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करना।</p> <p>यदि कहीं उल्लंघन हो तो सुझाव, नोटिस या अनुशासनात्मक संस्तुति जारी करना।</p>
15.	सदस्यता प्रकोष्ठ	<p>1. सदस्यता अभियान का संचालन एवं प्रबंधन संगठन के नियमों के अनुरूप सदस्यता रजिस्ट्रेशन अभियान चलाना, जिसमें व्यक्तिगत, संस्थागत, विशिष्ट एवं आजीवन सदस्यता की श्रेणियाँ सम्मिलित हों।</p> <p>ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पंजीकरण की व्यवस्था।</p> <p>2. सदस्य डेटा बैंक एवं डिजिटल रजिस्टर का संधारण प्रत्येक सदस्य का नाम, पता, मोबाइल नंबर, पहचान, सदस्यता श्रेणी, सक्रियता स्थिति आदि का समेकित डिजिटल डेटाबेस तैयार करना।</p>

		<p>“सदस्यता पोर्टल” या मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रोफाइल अपडेट, आईडी कार्ड जनरेशन और ई-संवाद।</p> <p>3. सदस्यता कार्ड एवं प्रमाणपत्र जारी करना नए सदस्यों को आईडी कार्ड, स्वागत पत्र, प्रमाणपत्र या सदस्यता किट प्रदान करना।</p> <p>आजीवन व विशिष्ट सदस्यों हेतु विशेष सम्मान पत्रक या पिन/बैज प्रदान करना।</p> <p>4. सदस्यता शुल्क संकलन एवं वित्तीय लेखा सदस्यता शुल्क की रसीद, ऑनलाइन भुगतान, नकद / चेक संग्रह आदि का लेखा संधारण।</p> <p>वार्षिक सदस्यता रिपोर्ट में सदस्य संख्या, आय, शुल्क वापसी व विलंब शुल्क विवरण प्रस्तुत करना।</p> <p>5. नवीन सदस्य जागरूकता एवं स्वागत कार्यक्रम</p>
--	--	---

		<p>नवनियुक्त सदस्यों के लिए "परिचय सत्र", "संस्थागत दर्शन संवाद", "शपथ समारोह" आदि आयोजित करना।</p> <p>6. सदस्यता समीक्षा एवं नवीकरण प्रक्रिया वार्षिक या त्रैमासिक आधार पर सदस्यता नवीकरण, निष्क्रिय सदस्यों की स्थिति, आजीवन सदस्यता सत्यापन।</p> <p>ईमेल/WhatsApp रिमाइंडर, टेलीफोन कॉलिंग, नवीकरण शिविर द्वारा सक्रियता सुनिश्चित करना।</p> <p>7. सदस्यता विस्तार एवं प्रचार रणनीति संगठन के उद्देश्यों को आधार बनाकर "हर जिला – हर ग्राम – हर वर्ग में सदस्यता" अभियान।</p> <p>8. विशेष वर्गों की सदस्यता योजना पूर्व सैनिक, विद्यार्थी, महिलाएँ, दिव्यांग, धर्माचार्य, वरिष्ठ नागरिक आदि वर्गों के लिए विशेष सदस्यता श्रेणियाँ या रियायतें।</p>
--	--	---

		<p>“सदस्यता समरसता नीति” के अंतर्गत सबको प्रतिनिधित्व देना।</p> <p>9. सदस्य अनुशासन, अधिकार एवं दायित्व विषयक प्रशिक्षण सदस्यों को संस्था की नीति, संविधान, आचार संहिता, कर्तव्य एवं अनुशासन संबंधी जानकारी देने हेतु “सदस्य संवाद कार्यशाला”।</p> <p>10. सदस्य सेवा एवं प्रतिक्रिया प्रणाली शिकायतों, सुझावों, पूछताछ के लिए “सदस्य सेवा प्रकोष्ठ”, हेल्पलाइन नंबर, ईमेल, टोल फ्री सुविधा।</p> <p>“सदस्य सुझाव पेटिका”, “Member Feedback Forum” एवं “वार्षिक सदस्य सम्मेलन” का आयोजन।</p>
16.	विकलांग जनकल्याण प्रकोष्ठ	<p>1. दिव्यांगजनों की पहचान एवं पंजीकरण स्थानीय स्तर पर दिव्यांगजनों का सर्वेक्षण व डिजिटल पंजीकरण कराना।</p>

		<p>उनके प्रकार (श्रवण, दृष्टि, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक आदि) के अनुसार वर्गीकरण करना।</p> <p>2. सहायता उपकरण वितरण एवं अनुकूलन सहायता व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, ब्रेल किट, कृत्रिम अंग, स्टिक आदि का निरुशुल्क वितरण शिविरों का आयोजन।</p> <p>आवास, कार्यालय, धर्मस्थल आदि में रैंप, रेलिंग, विशेष शौचालय की व्यवस्था की सिफारिश।</p> <p>3. शैक्षिक सहयोग और विशेष स्कूलों से समन्वय विशेष विद्यालयों, समेकित शिक्षा केंद्रों, स्पेशल एजुकएटर संस्थानों से समन्वय।</p> <p>होम ट्यूटर, ब्रेल शिक्षण, ऑडियो नोट्स, अनुकूल परीक्षा सुविधा आदि का प्रबंध।</p> <p>4. स्वास्थ्य शिविर एवं पुनर्वास सुविधा</p>
--	--	--

		<p>चिकित्सा परीक्षण, मानसिक परामर्श, फिजियोथेरेपी शिविरों का संचालन।</p> <p>पुनर्वास केंद्रों, थैरेपी क्लीनिक और विशेषज्ञ चिकित्सकों से संपर्क।</p> <p>5. रोजगार प्रशिक्षण और आत्मनिर्भरता अभियान सिलाई, कंप्यूटर, फोन रिपेयरिंग, कैंडल मेकिंग, पैकेजिंग आदि स्वरोजगार-उन्मुख कौशल प्रशिक्षण।</p> <p>6. दिव्यांग सशक्तिकरण संवाद और सम्मेलन "दिव्यांग प्रेरणा सम्मेलन", "सक्षम संवाद दिवस", "समानता पर अधिवेशन" आदि का आयोजन।</p> <p>स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रेरणादायक दिव्यांग व्यक्तियों को सम्मानित करना।</p> <p>7. कानूनी संरक्षण एवं अधिकारों की रक्षा</p> <p>यदि भेदभाव हो तो संगठन द्वारा विधिक कार्यवाही में मदद।</p>
--	--	--

		<p>8. दिव्यांगजन मित्र स्वयंसेवकों का गठन हर क्षेत्र में "दिव्यांग मित्र" तैनात करना जो रोजमर्रा की मदद, संवाद, सहारा दे सकें।</p> <p>विशेष त्योहारों, आयोजनों, यात्राओं आदि में सहयोग।</p>
17.	सम्मेलन एवं कार्यशाला प्रकोष्ठ	<p>1. सम्मेलन और कार्यशालाओं का आयोजन संगठन के उद्देश्यों के अनुरूप देशी और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, सेमिनारों, कार्यशालाओं का आयोजन करना।</p> <p>विशेषज्ञ वक्ताओं, पैनलिस्टों, और उद्योग विशेषज्ञों को आमंत्रित कर कार्यक्रमों की योजना बनाना।</p> <p>सम्मेलनों की थीम, एजेंडा और विषयवस्तु तैयार करना।</p> <p>पंजीकरण, कागजी कार्यवाही और यात्रा व्यवस्थाओं का संचालन करना।</p> <p>2. कार्यशाला विषय चयन और प्रबंधन</p>

		<p>संगठन के लक्ष्य और आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीकी, शैक्षिक, साक्षात्कार, नेतृत्व विकास, सामुदायिक सहयोग जैसे विषयों पर कार्यशालाओं का आयोजन।</p> <p>कार्यशाला की संरचना और प्रारूप तय करना, जैसे प्रस्तुतियाँ, पैनल चर्चा, हैंड्स-ऑन सत्र आदि।</p> <p>3. संसाधन और सामग्री तैयार करना सम्मेलनों और कार्यशालाओं के लिए विवरणिका, मार्गदर्शिका, बैज, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, पंजीकरण फार्म आदि तैयार करना।</p> <p>आयोजनों के लिए प्रेस किट, स्मारिका, और समारोह के प्रमाणपत्र तैयार करना।</p> <p>4. आधिकारिक और मीडिया प्रबंधन सम्मेलन और कार्यशाला के प्रचार के लिए सोशल मीडिया, ईमेल, वेबसाइट और अन्य मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग करना।</p>
--	--	---

		<p>प्रेस विज्ञप्तियाँ, इंटरव्यू और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करना ।</p> <p>सम्मेलन या कार्यशाला के दौरान मीडिया कवरेज सुनिश्चित करना ।</p> <p>5. सहयोग और साझेदारी</p> <p>सम्मेलनों और कार्यशालाओं के लिए प्रायोजक और साझेदार संस्थाओं की पहचान करना ।</p> <p>विभिन्न संगठनों, संस्थानों और सरकारी/निजी कंपनियों से सहयोग प्राप्त करना ।</p> <p>आयोजनों के लिए संचालन सहयोग और वित्तीय सहयोग की व्यवस्था करना ।</p> <p>6. प्रस्तुतकर्ता और वक्ता चयन</p> <p>सर्वश्रेष्ठ और अनुभवी विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं, और उद्योग नेताओं को सम्मेलन और कार्यशाला के लिए वक्ता के रूप में आमंत्रित करना ।</p>
--	--	--

		<p>वक्ताओं से प्रस्तुतियों, रिसर्च पेपर और अन्य सामग्री का समय पर प्राप्त करना।</p> <p>वक्ताओं के लिए यात्रा और आवासीय सुविधाओं का प्रबंधन।</p> <p>7. स्थल चयन और आयोजकीय व्यवस्थाएँ सम्मेलन/कार्यशाला के लिए उपयुक्त स्थल का चयन करना, जिसमें सुविधाएं, स्थान, पार्किंग, तकनीकी उपकरण आदि सुनिश्चित करना।</p> <p>वेन्यू बुकिंग, स्थल पर टेंट, बैठने की व्यवस्था, ऑडियो-वीडियो उपकरण की स्थापना।</p> <p>8. ऑनलाइन सम्मेलन और वेबिनार आयोजन यदि सम्मेलन/कार्यशाला ऑनलाइन है, तो स्मार्ट वेबिनार सॉफ्टवेयर का चयन और सेटअप करना।</p> <p>प्लेटफॉर्म का तकनीकी परीक्षण, पंजीकरण लिंक, और प्रमोशन गतिविधियों का संचालन।</p>
--	--	--

		<p>वेबिनार में वक्ताओं और प्रतिभागियों के लिए आवश्यक तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना।</p> <p>9. प्रतिभागियों का प्रबंधन और सहयोग</p> <p>सम्मेलन/कार्यशाला में प्रतिभागियों का पंजीकरण और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सेवा प्रदान करना।</p> <p>प्रोफेशनल गाइड्स, ट्रांसपोर्ट, फूड और ट्रेवल अरेंजमेंट का प्रबंधन करना।</p> <p>हर सत्र के बाद प्रतिक्रिया सर्वेक्षण और आवश्यक फॉलो-अप गतिविधियाँ।</p> <p>10. आर्थिक प्रबंधन और बजट निर्धारण</p> <p>सम्मेलन या कार्यशाला के लिए एक विस्तृत बजट तैयार करना जिसमें स्थल चयन, यात्रा, संसाधन, प्रचार, और अन्य खर्चों का ध्यान रखा जाए।</p>
--	--	---

		<p>खर्चों की निगरानी करना और सम्मेलन के बाद वित्तीय रिपोर्ट तैयार करना।</p> <p>11. स्मारिका, प्रमाणपत्र और पुरस्कार वितरण सम्मेलन/कार्यशाला के समापन पर स्मारिका और प्रमाणपत्र वितरण सुनिश्चित करना।</p> <p>सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति या वक्ताओं को पुरस्कार या सम्मान प्रदान करना।</p> <p>12. समीक्षा और सुधार कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद प्रतिक्रिया, सुझाव और समीक्षा प्राप्त करना।</p> <p>भविष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए सुधार की रणनीतियाँ तैयार करना।</p>
18.	वित्तीय निरीक्षण एवं लेखा परीक्षण प्रकोष्ठ	<p>1. वार्षिक एवं त्रैमासिक लेखा परीक्षण संस्था के सभी वित्तीय लेनदेन, रसीदें, भुगतान, निवेश एवं बजट का नियमित लेखा परीक्षण कराना।</p>

		<p>वित्तीय वर्ष के अंत में लेखा परीक्षण रिपोर्ट तैयार कर मुख्यालय एवं कार्यकारिणी को प्रस्तुत करना।</p> <p>2. वित्तीय दस्तावेजों का सत्यापन एवं निरीक्षण वाउचर, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, भुगतान आदेश, व्यय बिल, कर भुगतान रसीद आदि का गहन सत्यापन करना।</p> <p>अनियमितता, दोहराव या फर्जीवाड़े की संभावना पर रिपोर्ट तैयार करना।</p> <p>3. शाखाओं एवं प्रकोष्ठों का वित्तीय निरीक्षण राज्य, जिला, प्रकोष्ठ या परियोजना स्तर पर स्थानीय लेखा रिकॉर्ड का निरीक्षण एवं सैंपल ऑडिट।</p> <p>वार्षिक निरीक्षण यात्रा कर रिपोर्टिंग व सुधार हेतु निर्देश देना।</p> <p>4. बजट विश्लेषण एवं व्यय नियंत्रण संस्थान द्वारा तैयार वार्षिक बजट प्रस्तावों की समीक्षा, बजट आवंटन की तर्कसंगतता की जाँच।</p>
--	--	--

		<p>स्वीकृत बजट बनाम वास्तविक व्यय की रिपोर्ट प्रस्तुत करना।</p> <p>5. वित्तीय पारदर्शिता को सुनिश्चित करना संगठन की सभी इकाइयों द्वारा पारदर्शी लेनदेन, नगद रहित प्रणाली, डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना।</p> <p>“पारदर्शिता पोर्टल” या “वित्तीय ई-रजिस्टर” विकसित करना।</p> <p>6. लेखा पुस्तकों का संधारण मानक के अनुरूप संस्था की कैशबुक, लेजर, बिल रजिस्टर, चेक रजिस्टर, ऑडिट रजिस्टर आदि का प्रारूपबद्ध और क्रमबद्ध संधारण सुनिश्चित करना।</p> <p>7. वित्तीय अनियमितताओं पर सतर्कता कार्यवाही किसी शाखा या प्रकोष्ठ में लेखा उल्लंघन, संदिग्ध भुगतान या अनुमति के बिना व्यय की स्थिति में तथ्यपरक निरीक्षण एवं अनुशंसा पत्र तैयार करना।</p>
--	--	---

		<p>आवश्यकता पड़ने पर कारण बताओ नोटिस एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा।</p> <p>8. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का सुदृढीकरण संगठन के भीतर वित्तीय अनुमोदन प्रक्रिया, स्वीकृति श्रेणियाँ, सीमा निर्धारण, दोहरी जांच प्रणाली का निर्माण एवं अनुश्रवण।</p> <p>ऑडिट टीमों की नियुक्ति एवं परामर्शदाता लेखा विशेषज्ञों का पैनल तैयार करना।</p> <p>9. वैधानिक एवं कर दायित्वों का परीक्षण संस्था की ओर से इनकम टैक्स, GST, CSR, फाइनेंस एक्ट, इत्यादि के पालन की जाँच।</p> <p>सभी कर विवरणी एवं वार्षिक वित्तीय रिटर्न समय पर दाखिल कराए जाने की पुष्टि।</p> <p>10. वित्तीय प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास</p>
--	--	---

		<p>शाखा प्रभारी, कोषाध्यक्ष, लेखा सहायक आदि के लिए लेखा प्रक्रिया, ऑडिट समझ, व्यय लेखा साक्ष्य संधारण आदि पर प्रशिक्षण सत्र एवं कार्यशालाएँ आयोजित करना।</p>
19.	नैतिक शिक्षा एवं नेतृत्व प्रशिक्षण प्रकोष्ठ	<p>1. नैतिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा कार्यक्रम विद्यालयों, महाविद्यालयों, प्रशिक्षण शिविरों, धार्मिक संगठनों में ईमानदारी, करुणा, कर्तव्यनिष्ठा, सहनशीलता, समरसता जैसे नैतिक गुणों की शिक्षा देना।</p> <p>“चरित्र निर्माण सप्ताह”, “नैतिक संवाद सत्र”, “सदाचार प्रशिक्षण अभियान” का आयोजन।</p> <p>2. नेतृत्व कौशल विकास प्रशिक्षण युवाओं, स्वयंसेवकों, छात्र प्रतिनिधियों, महिला समूहों के लिए जन-नेतृत्व, प्रभावी संप्रेषण, निर्णय क्षमता, टीम प्रबंधन जैसे विषयों पर कार्यशालाएँ आयोजित करना।</p> <p>“उभरते नेतृत्व शिविर”, “ग्राम स्तरीय नेतृत्व पाठशाला” जैसे कार्यक्रम चलाना।</p>

		<p>3. संविधान, कर्तव्य और अधिकारों की शिक्षा भारतीय संविधान, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, नागरिक शिष्टाचार, सामूहिक उत्तरदायित्व की समझ विकसित कराना।</p> <p>“सामाजिक दायित्व संवाद” एवं “राष्ट्रधर्म कार्यशाला” का आयोजन।</p> <p>4. धर्म एवं संस्कृति आधारित नैतिकता प्रसार सभी धर्मों की शिक्षाओं में निहित नैतिक सिद्धांतों को उजागर कर सर्वधर्म समभाव आधारित नैतिक पाठ्यक्रम तैयार करना।</p> <p>“धर्म और नैतिकता संगोष्ठी”, “परंपरा और नेतृत्व” विषय पर संवाद।</p> <p>5. संगठन के स्वयंसेवकों का शील, अनुशासन एवं आचार प्रशिक्षण संगठन के स्वयंसेवकों को संवेदनशीलता, शुचिता, कर्तव्यनिष्ठा, नेतृत्व में सहिष्णुता आदि गुणों का व्यवहारिक प्रशिक्षण देना।</p>
--	--	--

		<p>“नैतिक संकल्प पत्र”, “सेवा पूर्व शपथग्रहण समारोह” जैसे आयोजन।</p> <p>6. बाल एवं किशोर वर्ग के लिए नैतिक गतिविधियाँ नैतिक कहानी प्रतियोगिता, नाटक, पोस्टर मेकिंग, रोल-प्ले, नैतिक प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियाँ आयोजित करना।</p> <p>विद्यालयों में “नैतिकता क्लब” और “कर्मशील बाल सभा” का गठन।</p> <p>7. वरिष्ठ नागरिकों एवं मार्गदर्शकों से नैतिक संवाद वयोवृद्धों, धर्माचार्यों, शिक्षकों और अनुभवी जनों के साथ “संवाद श्रृंखला” चलाना ताकि युवा पीढ़ी को नैतिक नेतृत्व के जीवंत उदाहरण मिल सकें।</p> <p>8. नैतिक नेतृत्व प्रमाणन एवं मान्यता नैतिकता व नेतृत्व के क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मान पत्र, बिल्ला, पदक आदि से सम्मानित करना।</p>
--	--	---

		<p>“नैतिक नायक चयन अभियान” की घोषणा करना।</p> <p>9. नैतिक शिक्षा सामग्री का विकास एवं प्रकाशन नैतिक शिक्षा पुस्तिका, साप्ताहिक प्रेरक वाक्य, वीडियो श्रृंखला, ई-बुक आदि का निर्माण एवं वितरण।</p> <p>“नैतिक दिशा” नामक पत्रिका या डिजिटल ब्लॉग का प्रकाशन।</p> <p>10. समाज में नैतिक जागरूकता फैलाने के लिए जन अभियान “सच्चाई सम्मान यात्रा”, “ईमानदारी सप्ताह”, “शिष्टाचार जनसंवाद” जैसे जनजागरूकता कार्यक्रम।</p> <p>सार्वजनिक स्थलों, सोशल मीडिया, विद्यालयों में नैतिक मूल्यों के प्रचार हेतु पोस्टर, संवाद और स्टॉल।</p>
20.	धर्मशास्त्र एवं संस्कृति अध्ययन प्रकोष्ठ	<p>1. विविध धर्मों के शास्त्रीय सिद्धांतों का तुलनात्मक अध्ययन</p>

		<p>हिंदू धर्मशास्त्र (वेद, उपनिषद, स्मृतियाँ, पुराण), इस्लामिक शरीयत, ईसाई बाइबिलीय सिद्धांत, सिख रहत मर्यादा, बौद्ध त्रिपिटक, जैन आगम आदि का तुलनात्मक एवं वैज्ञानिक विश्लेषण।</p> <p>“सर्वधर्म शास्त्र सम्मेलन” एवं “शास्त्र संवाद शृंखला” का आयोजन।</p> <p>2. भारतीय संस्कृति एवं विरासत के मूल तत्त्वों का दस्तावेजीकरण</p> <p>भारतीय नृत्य, वाद्य, शिल्प, पर्व, लोकाचार, रीति-नीति, लोकदेवता आदि का शास्त्रीय और लोक आधारित शोध।</p> <p>“संस्कृति संकलन ग्रंथमाला” तथा “सांस्कृतिक अध्ययन पीठ” की स्थापना।</p> <p>3. शास्त्रीय पद्धति से पाठ्यक्रम निर्माण और अध्ययन केंद्रों का संचालन</p>
--	--	--

		<p>धर्मशास्त्र, संस्कृति, दर्शन और परंपरा विषयक डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स, प्रशिक्षण कार्यशाला एवं ऑनलाइन पाठ्यक्रम का संचालन।</p> <p>“धर्म–दर्शन अध्ययन केन्द्र” या “सांस्कृतिक विमर्श पाठशाला” की स्थापना।</p> <p>4. धर्मशास्त्र के विद्वानों एवं आचार्यों के साथ संवाद विभिन्न धर्मों के पंडितों, मौलवियों, फादरों, ग्रंथियों, भिक्षुओं आदि के साथ सांस्कृतिक/दर्शनीय विमर्श।</p> <p>“धर्माचार्य संवाद मंच” एवं “शास्त्र–संवाद परिषद” का नियमित आयोजन।</p> <p>5. धर्मशास्त्रीय ग्रंथों का अनुवाद एवं प्रकाशन वेद, कुरआन, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहिब, त्रिपिटक आदि के सरल, तुलनात्मक और समावेशी अनुवाद का प्रयास।</p> <p>“शास्त्र विवेचन प्रकाशन श्रृंखला” एवं “अंतरधार्मिक अध्ययन–पत्रिका” का प्रकाशन।</p>
--	--	---

		<p>6. धार्मिक विधियों एवं संस्कृति की व्यावहारिक व्याख्या संस्कार, पूजा-पद्धति, उपवास, तीर्थयात्रा, अनुष्ठान आदि की वैज्ञानिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उपयोगिता का प्रचार।</p> <p>अंधविश्वास से सत्य आस्था की ओर अभियान।</p> <p>7. विद्यार्थियों के लिए शास्त्रीय प्रतियोगिताएँ एवं संवाद मंच धर्मशास्त्र प्रश्नोत्तरी, संस्कृति वाद-विवाद, सांस्कृतिक कथा प्रतियोगिता, श्लोक/सूराध्वचन पाठन आदि।</p> <p>“युवा धर्मविद् योजना” के अंतर्गत छात्रवृत्ति/सर्टिफिकेट।</p> <p>8. अंतरराष्ट्रीय संस्कृति अध्ययन एवं समन्वय यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एलायंस ऑफ सिविलाइजेशन जैसे संस्थानों के साथ सांस्कृतिक शोध।</p> <p>“विश्व धर्मशास्त्र अधिवेशन” एवं “सांस्कृतिक समन्वय संगोष्ठी”।</p>
--	--	--

		<p>9. धार्मिक विविधता में एकता और सांस्कृतिक सौहार्द का प्रसार</p> <p>“एक धरती – अनेक आस्थाएँ – एक संस्कृति” विषय पर व्याख्यानमालाएँ।</p> <p>धार्मिक सौहार्द और सांस्कृतिक सह-अस्तित्व पर समाज जागरूकता अभियान।</p>
21.	साहित्य, अभिलेख एवं सांस्कृतिक दस्तावेजीकरण प्रकोष्ठ	<p>1. साहित्यिक कृतियों का संकलन एवं प्रकाशन</p> <p>संस्था या समाज के गद्य, पद्य, नाटक, सूक्तियाँ, भजन, विचार आलेख, जीवन चरित्र आदि को संकलित कर संरक्षित करना।</p> <p>“वार्षिक साहित्य संकलन, स्मारिका, मंचीय साहित्य संग्रह” जैसे प्रकाशनों का संपादन व विमोचन।</p> <p>2. ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक अभिलेखों का निर्माण</p>

		<p>संगठन, समाज या धर्म की ऐतिहासिक घटनाओं, आंदोलन, सम्मेलनों, यात्राओं, उपलब्धियों, प्राचीन दस्तावेजों का व्यवस्थित अभिलेखन।</p> <p>“इतिहास अभिलेख पुस्तकालय” या “डिजिटल अभिलेख केंद्र” की स्थापना।</p> <p>3. धरोहर स्थलों, कला, वेशभूषा एवं परंपराओं का दस्तावेजीकरण</p> <p>स्थानीय रीति-रिवाज, लोकगीत, नृत्य, पंथीय परंपरा, पारंपरिक व्यंजन, स्थापत्य शैली आदि को वीडियो, फोटो, लेख, नक्शा व साक्षात्कार के माध्यम से दर्ज करना।</p> <p>“सांस्कृतिक विरासत डिजिटल संग्रहालय” का निर्माण।</p> <p>4. प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपियों एवं ताड़पत्र ग्रंथों का संरक्षण</p> <p>ताड़पत्र, भोजपत्र, हस्तलिखित पुस्तकें, शिलालेख, अभिलेख, मुद्रित दुर्लभ ग्रंथों को संरक्षित, स्कैन, अनूदित और डिजिटलाइज करना।</p>
--	--	---

		<p>“पांडुलिपि संरक्षण एवं अनुसंधान प्रकोष्ठ” की स्थापना।</p> <p>5. महापुरुषों, धर्माचार्यों, संतों व समाजसेवियों के जीवनवृत्त का संग्रह जीवन परिचय, कार्य, प्रवचन, योगदान, पत्राचार, स्मरण लेख आदि का दस्तावेजी संग्रह तैयार करना।</p> <p>“व्यक्तित्व-चित्र शृंखला” और “स्मृति-संग्रह प्रकाशन”।</p> <p>6. संस्था के सभी कार्यक्रमों का दस्तावेजी अभिलेखन सम्मेलनों, यात्राओं, बैठकों, कार्यशालाओं, धर्मसभा, पुरस्कार समारोहों की फोटो, वीडियो, रिपोर्ट, समाचार कटिंग, वक्तव्यों को संरक्षित करना।</p> <p>“वार्षिक गतिविधि अभिलेख” का प्रकाशन।</p> <p>7. बहुभाषिक अनुवाद एवं संस्कृति प्रसार साहित्यिक कृतियों, ग्रंथों, घोषणाओं आदि का हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत व अन्य भाषाओं में अनुवाद।</p>
--	--	---

		<p>“संस्कृति संवाद पत्रिका” का बहुभाषीय संस्करण।</p> <p>8. सांस्कृतिक अध्ययन हेतु पुस्तकालय एवं संदर्भ केंद्र एक स्थायी “सांस्कृतिक अध्ययन पुस्तकालय” का संचालन, जिसमें धर्म, साहित्य, संस्कृति, इतिहास, कला, नीति से संबंधित पुस्तकें, पत्रिकाएँ, डिजिटल सामग्री उपलब्ध हों।</p> <p>9. डिजिटल आर्काइविंग और ऑनलाइन पोर्टल निर्माण सभी सांस्कृतिक अभिलेखों, साहित्यिक संग्रहों और ऐतिहासिक दस्तावेजों का ऑनलाइन डेटाबेस व पोर्टल बनाना।</p> <p>10. नवीन लेखकों, कलाकारों व इतिहासकारों को मंच प्रदान करना लेखन, संपादन, अभिलेखन व सांस्कृतिक शोध के क्षेत्र में कार्यरत युवा प्रतिभाओं को प्रशिक्षण, अवसर व मान्यता प्रदान करना।</p>
--	--	--

		<p>“साहित्य सृजन कार्यशाला, स्मृति लेखन प्रतियोगिता, डॉक्यूमेंटेशन फेलोशिप” का संचालन।</p>
22.	<p>सर्वधर्म ओलंपिक समरसता प्रकोष्ठ</p>	<p>1. सर्वधर्म खेल महोत्सवों का आयोजन भिन्न-भिन्न धर्मों, समुदायों और प्रांतों के युवाओं को जोड़ते हुए "सर्वधर्म ओलंपिक समरसता खेल महोत्सव" आयोजित करना।</p> <p>इनमें पारंपरिक खेल (कबड्डी, खो-खो, मलखंभ), आधुनिक खेल (फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स) और सांस्कृतिक प्रतियोगिताएँ सम्मिलित हों।</p> <p>2. खेल के माध्यम से सौहार्द और भाईचारा बढ़ाना खेलों को भाषा, जाति, पंथ, मजहब से ऊपर उठकर एकता का माध्यम बनाना।</p> <p>3. सर्वधर्म एथलीट क्लबों और शिविरों की स्थापना स्थानीय, राज्य, और राष्ट्रीय स्तर पर सर्वधर्म समरसता क्लब बनाना, जिसमें विभिन्न धर्मों के युवा खेलों में एक साथ भाग लें।</p>

		<p>“धर्म समभाव खेल प्रशिक्षण शिविर”, “सांझी मैदान पहल” जैसी गतिविधियाँ।</p> <p>4. ओलंपिक चार्टर के समान अंतरधार्मिक खेल आचार संहिता का निर्माण</p> <p>सद्भाव, खेल भावना, ईमानदारी और सम्मान पर आधारित एक “सर्वधर्म खेल आचार संहिता” बनाना।</p> <p>प्रत्येक खिलाड़ी और आयोजक को इसका पालन सुनिश्चित कराना।</p> <p>5. धर्माचार्यों और खेल-गुरुओं के माध्यम से प्रेरणा संवाद</p> <p>विविध धर्मों के गुरुओं व राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ “समरसता प्रेरणा संवाद”, “धर्म और खेल का संबंध” विषयक परिचर्चाएँ।</p> <p>खेल में ध्यान, संयम, त्याग और संकल्प की भूमिका पर व्याख्यान।</p>
--	--	--

		<p>6. सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समावेश प्रत्येक खेल आयोजन के साथ धार्मिक एकता आधारित रंगारंग प्रस्तुतियाँ, जैसे:—</p> <p>सर्वधर्म प्रार्थना</p> <p>“भारत एक संस्कृतियों का देश” थीम नृत्य</p> <p>राष्ट्रीय एकता गीत</p> <p>7. धर्म और खेल पर शोध, प्रकाशन और डॉक्यूमेंटेशन “धर्म, खेल और समरसता” विषय पर शोध प्रबंध, लेख संकलन, ई-पत्रिका का प्रकाशन।</p> <p>8. समरसता खिलाड़ी सम्मान योजना सर्वधर्म समरसता के आदर्श प्रस्तुत करने वाले खिलाड़ियों को “धर्मसंगम खिलाड़ी सम्मान”, “सर्वधर्म प्रेरणा पदक” से अलंकृत करना।</p>
--	--	---

		<p>विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों की "ओलंपिक समरसता टीम" बनाना।</p> <p>9. बच्चों और दिव्यांगजनों के लिए समावेशी खेल कार्यक्रम</p> <p>"सर्वधर्म बालक्रीड़ा उत्सव" व दिव्यांगजनों के लिए खेल समरसता शिविर का आयोजन, जिसमें सहिष्णुता, करुणा और सहयोग की भावना उत्पन्न हो।</p>
23.	परिवर्तन पथ सेवा प्रकोष्ठ	<p>1. भटके हुए व्यक्तियों की पहचान एवं प्रेरणा</p> <p>ऐसे युवाओं/व्यक्तियों की पहचान करना जो कभी अपराध, नशा, कट्टरता, हिंसा या वैचारिक भटकाव से जुड़े रहे हों।</p> <p>उन्हें "दूसरा अवसर" देने हेतु सेवा, संस्कार और समाज की मुख्यधारा में लाने का प्रयास।</p> <p>2. व्यक्तित्व परिवर्तन एवं सेवा मूल्यों का प्रशिक्षण</p> <p>"चरित्र पुनर्निर्माण कार्यशाला", "मानसिक परिष्कार सत्र", "कर्तव्यबोध प्रशिक्षण" आयोजित करना।</p>

		<p>भूतपूर्व अपराधियों या नशाग्रस्त व्यक्तियों हेतु विशेष संधान शिविर।</p> <p>3. नशामुक्ति, हिंсамुक्ति एवं आचरण सुधार अभियान नशा छोड़ने, हिंसा छोड़ने और समाज में पुनर्स्थापना के लिए "परिवर्तन यात्रा", "जीवन नव निर्माण सप्ताह", "नशा त्याग संकल्प दिवस" का आयोजन।</p> <p>4. सेवा के माध्यम से आत्मगौरव की पुनर्स्थापना समाज की भलाई हेतु कार्यों जैसे – वृक्षारोपण, सफाई अभियान, बुजुर्ग सेवा, गौसेवा, जनजागृति कार्यक्रम – में इन्हें सम्मिलित कर सेवा से उद्धार का मार्ग देना।</p> <p>5. काउंसलिंग, ध्यान एवं आत्मबोध सत्र मनोवैज्ञानिक सलाह, आत्मचिंतन, मेडिटेशन, धार्मिक संवाद द्वारा आंतरिक परिवर्तन को सशक्त करना।</p> <p>"संयम पथ ध्यान सत्र" और "कर्मशुद्धि संवाद" की श्रृंखला।</p> <p>6. विधिक पुनर्वास एवं अधिकार संरक्षण</p>
--	--	--

		<p>जो व्यक्ति भूतपूर्व अपराधों या विवादों से मुक्त हो चुके हों, उनके लिए विधिक सहायता, पहचान बहाली, रोजगार पत्र, और नवजीवन प्रमाणपत्र की प्रक्रिया।</p> <p>7. कला, साहित्य और श्रम के माध्यम से सुधार इन व्यक्तियों को नाटक, चित्रकला, लेखन, हस्तकला, संगीत, शारीरिक श्रम आदि में भागीदारी देकर उन्हें समाजोपयोगी बनाना।</p> <p>“अंदर से सुंदर बनो” जैसे अभियान।</p> <p>8. प्रेरक व्यक्तियों की सहभागिता पूर्व में सुधार का उदाहरण बन चुके व्यक्तियों को “परिवर्तन प्रेरक” घोषित कर अन्य भटके हुए युवाओं को प्रेरित करने की जिम्मेदारी देना।</p> <p>9. समाज में पुनः सम्मानजनक स्थान दिलाना संस्था के माध्यम से “परिवर्तन गौरव सम्मान”, “उद्धार सेवा पट्टिका” आदि प्रदान कर उनके योगदान को सार्वजनिक रूप से सराहा जाना।</p>
--	--	--

		<p>10. सरकारी एवं गैर-सरकारी पुनर्वास योजनाओं से जोड़ना कौशल विकास मिशन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, नशामुक्ति योजना, जेल सुधार योजना आदि से समन्वय कर लाभ दिलाना।</p> <p>11. जेल सुधार एवं सेवा पुनर्वास कार्यक्रम जिला/राज्य जेलों में "परिवर्तन संवाद सत्र", "आत्मपरिष्कार ध्यान कार्यक्रम", "श्रमिक सेवा कार्यशाला" आयोजित करना।</p> <p>कारावास में सेवा-पथ जागरण अभियान चलाना जिससे कैदी, प्रहरी व जेल प्रशासन तीनों समरस होकर सुधार प्रक्रिया में सहयोग करें।</p> <p>12. परिवर्तन प्रेरक कैदी चयन और सम्मान ऐसे सज्जन बंदी जो सुधार की दिशा में अग्रसर हैं, उन्हें "परिवर्तन प्रेरक सम्मान" दिया जाए।</p> <p>वे स्वयं जेल में अन्य कैदियों को प्रेरित करें।</p>
--	--	---

24.	परिवार समरसता प्रकोष्ठ	<p>1. पारिवारिक संवाद एवं स्नेह आधारित जीवनशैली को बढ़ावा देना परिवारों में संवाद, समझ, सम्मान और सह-अस्तित्व के चार स्तंभों को सशक्त करने हेतु “संयुक्त परिवार संवाद अभियान” और “स्नेह सप्ताह” का आयोजन।</p> <p>पति-पत्नी, माता-पिता एवं बच्चों के बीच सामंजस्यात्मक संवाद सत्र।</p> <p>2. पारिवारिक कलह/विवाद निवारण परामर्श केंद्र विवाह, सास-बहू, पीढ़ी संघर्ष, संपत्ति विवाद, संचारहीनता जैसे विषयों पर मध्यस्थता एवं काउंसलिंग सेवा उपलब्ध कराना।</p> <p>“परिवार समाधान सेवा केंद्र” की स्थापना।</p> <p>3. गृहसंस्कार कार्यशालाएँ एवं सहजीवन प्रशिक्षण प्रेम, सहयोग, विश्वास, त्याग, सहनशीलता, कर्तव्यनिष्ठा जैसे गुणों को केंद्र में रखकर गृहसंस्कार कार्यशालाओं का आयोजन।</p>
-----	------------------------	---

		<p>विवाह पूर्व एवं विवाहोत्तर "सहजीवन संवाद सत्र", "परिवारिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम" ।</p> <p>4. वरिष्ठ नागरिक सम्मान और अनुभव साझा मंच दादा-दादी – पोते-पोतियों के मध्य "अनुभव संवाद"</p> <p>"वयोवृद्ध जीवन मंत्र कार्यक्रम" व "तीन पीढ़ी – एक साथ" पर सांस्कृतिक आयोजन ।</p> <p>वृद्धजनों के लिए मानसिक संबल, स्वास्थ्य और समाज से जोड़ने की योजना ।</p> <p>5. एकल अभिभावक, विधवा/विधुर, अनाथ बच्चों के लिए विशेष सहयोग कार्यक्रम ऐसे परिवारों में सामाजिक सहारा, भावनात्मक संतुलन, शिक्षा-संरक्षण हेतु विशेष सहायता अभियान ।</p> <p>"अभाव नहीं, अपनापन दें" जैसे मिशन ।</p>
--	--	--

		<p>6. पारिवारिक मूल्य आधारित शिक्षा का विद्यालयों में समावेश “परिवार पर आधारित नैतिक पाठ्यक्रम”, परिवार उत्सव दिवस, माता-पिता सम्मान समारोह आदि आयोजन।</p> <p>7. समारोहों को आत्मीयता का अवसर बनाना शादी, जन्मोत्सव, वर्षगाँठ, गृहप्रवेश, मृत्यु संस्कार आदि को “परिवार एकता दिवस” की भावना से जोड़ना।</p> <p>“सादा जीवन – सघन संबंध” अभियान को प्रोत्साहन।</p> <p>8. संयुक्त परिवार प्रणाली का सामाजिक संरक्षण युवाओं में संयुक्त परिवार की उपयोगिता, सुरक्षा, संस्कार और सहभागिता के लाभों को प्रचारित करना।</p> <p>“हम साथ-साथ क्यों?” जैसे संवाद कार्यक्रम।</p> <p>9. नवदंपती सशक्तिकरण व सामूहिक विवाह प्रेरणा विवाह को सामाजिक अनुबंध न मानकर आध्यात्मिक उत्तरदायित्व बताने हेतु संवाद।</p>
--	--	---

		<p>“सद्गृहस्थ सृजन योजना” एवं “सहजीवन संस्कार शिविर” ।</p> <p>10. पारिवारिक फिल्मों, पुस्तकों व संस्मरणों का संग्रह व वितरण</p> <p>कहानी, नाटक, जीवन अनुभव, वृत्तचित्र इत्यादि के माध्यम से आदर्श परिवार संरचनाओं का प्रचार ।</p> <p>“परिवार संवाद पुस्तिका श्रृंखला” प्रकाशित करना ।</p>
25.	जीव दया एवं संरक्षण प्रकोष्ठ	<p>1. अहिंसा और जीवमात्र के प्रति दया की भावना का प्रचार</p> <p>विभिन्न धर्मों की जीवदया परंपराओं को एक मंच पर लाकर सर्वधर्म जीवस्नेह संवाद आयोजित करना ।</p> <p>“अहिंसा अमृत है” जैसे सार्वजनिक जनजागरूकता अभियान ।</p> <p>2. पशु क्रूरता रोकने हेतु निगरानी एवं शिकायत प्रकोष्ठ</p>

		<p>पशुओं पर हो रहे अत्याचार (मारपीट, अवैध वध, बंधन, भूखा रखना, तस्करी) की सूचना के लिए हेल्पलाइन, सतर्कता समूह और कानूनी कार्रवाई समन्वय समिति का गठन।</p> <p>3. गौसेवा एवं परित्यक्त पशुओं का पुनर्वास गौशालाओं, पशु आश्रयगृहों, पुनर्वास केंद्रों की स्थापना/सहयोग।</p> <p>बीमार, घायल, अपंग या बेसहारा पशुओं के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर।</p> <p>4. जीवदया विषय पर नैतिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण विद्यालयों, महाविद्यालयों में "प्राणी करुणा पाठ्यक्रम", सप्ताहिक करुणा संवाद, पशु-मैत्री संगोष्ठियाँ।</p> <p>बच्चों और युवाओं में करुणा, सहानुभूति और संरक्षण की भावना का संचार।</p> <p>5. वृक्ष, पक्षी, जलजीव एवं कीट संरक्षण को भी शामिल करना</p>
--	--	--

		<p>पक्षियों के लिए दाना-पानी अभियान, घोंसला संरक्षण, तालाबध्झीलों में मत्स्य संरक्षण, मधुमक्खी/कीटों की जैव विविधता को बनाए रखना।</p> <p>6. पशु अधिकारों पर विधिक जागरूकता एवं सहायता</p> <p>मुकदमे दायर करने हेतु विधिक सहायता प्रकोष्ठ।</p> <p>7. पशु चिकित्सा, टीकाकरण एवं नसबंदी शिविर</p> <p>गली के कुत्ते, बिल्ली, बंदर, गाय आदि के लिए वैक्सिनेशन, नसबंदी, प्राथमिक उपचार शिविर।</p> <p>8. पर्यावरणीय दृष्टिकोण से पशु संरक्षण</p> <p>जैव विविधता, पारिस्थितिक संतुलन, प्राकृतिक पारिस्थितिकी में जीवों की भूमिका पर शोध, संगोष्ठी और अध्ययन केंद्र।</p> <p>9. सद्ग्रंथों में वर्णित जीवदया पर विचार प्रसार</p> <p>धर्मग्रंथों (जैसे – जैन आगम, बौद्ध त्रिपिटक, गीता, कुरआन, बाइबिल) में प्राणीमात्र की करुणा विषयक विचारों को उद्धृत कर धार्मिक जागरूकता।</p>
--	--	---

		<p>10. जीवदया प्रेरणा दिवस एवं स्मृति उत्सवों का आयोजन "अंतरराष्ट्रीय जीवदया दिवस", "अहिंसा पर्व", "पशु स्मृति संगोष्ठी" जैसे भावनात्मक और नैतिक पुनरुद्धार कार्यक्रम।</p>
26.	धार्मिक धरोहर संरक्षण प्रकोष्ठ	<p>1. प्राचीन धार्मिक स्थलों, मंदिरों, मठों, मस्जिदों, चर्चों, गुरुद्वारों आदि का संरक्षण संरक्षण हेतु सूचीबद्धता, ऐतिहासिक महत्त्व का मूल्यांकन, पुरातात्विक रिपोर्टिंग और दस्तावेजीकरण।</p> <p>क्षतिग्रस्त, उपेक्षित या लुप्तप्राय धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धार प्रस्ताव तैयार करना।</p> <p>2. धार्मिक स्मृति चिन्हों एवं कलाकृतियों का अभिलेखन मूर्तियाँ, शिलालेख, ताम्रपत्र, धार्मिक झंडे, ग्रंथ, प्रतीकचिह्न, कलात्मक द्वार और स्तंभ आदि की फोटोग्राफी, स्कैनिंग, नक्शांकन।</p>

		<p>“धार्मिक विरासत संग्रहालय” की परिकल्पना।</p> <p>3. धार्मिक धरोहरों पर शोध एवं प्रलेखन कार्य धर्म, इतिहास, पुरातत्व, वास्तुकला, संस्कृति के शोधार्थियों को फील्ड स्टडी, रिपोर्ट लेखन, अभिलेखन, फोटोग्राफिक सर्वेक्षण आदि का अवसर देना।</p> <p>4. धार्मिक धरोहरों का डिजिटलीकरण एवं ऑनलाइन अभिलेख निर्माण सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों, यात्राओं, परंपराओं, शिल्प व चित्रणों को ऑनलाइन पोर्टल, वर्चुअल संग्रहालय या 3D मॉडलिंग के रूप में संरक्षित करना।</p> <p>“ई-धरोहर अभियान” प्रारंभ करना।</p> <p>5. स्थानीय समाज व युवाओं की सहभागिता से संरक्षण अभियान प्रत्येक गाँव/नगर में स्थानीय धार्मिक धरोहर रक्षक दल का गठन।</p>
--	--	---

		<p>स्कूल, कॉलेज, धार्मिक शिक्षण संस्थानों में "धरोहर प्रहरी संकल्प कार्यक्रम"।</p> <p>6. यूनेस्को एवं पुरातत्व विभाग से समन्वय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक धरोहरों को विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित कराने हेतु कार्य।</p> <p>ASI और पुरातत्व अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण, तकनीकी मूल्यांकन, संरक्षण तकनीक को साझा करना।</p> <p>7. संवेदनशील क्षेत्रों की धरोहरों के लिए विशेष निगरानी दल धार्मिक धरोहरों पर अतिक्रमण, तोड़फोड़, अश्लीलता, राजनीतिक उपयोग, उपेक्षा आदि के विरुद्ध निगरानी तंत्र एवं अधिवक्ता दल तैयार करना।</p> <p>8. धार्मिक तीर्थयात्राओं के ऐतिहासिक मार्गों की पुनर्स्थापना</p>
--	--	---

		<p>रामवनगमन पथ, पंचकोशी यात्रा, कैलाश मानसरोवर पथ, सूफी दरगाह मार्ग, बौद्ध पथ आदि का दस्तावेजीकरण और प्रचार।</p> <p>इन मार्गों पर संरक्षण चिन्ह, पथ प्रदर्शक, जानकारी पट्ट आदि लगवाना।</p> <p>9. धार्मिक धरोहर शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम विद्यार्थियों व आमजन को धार्मिक धरोहरों के महत्व पर व्याख्यान, भ्रमण, चित्रकला, निबंध, संगोष्ठी, वृत्तचित्र के माध्यम से संवेदनशील बनाना।</p> <p>धरोहर मित्र सम्मान जैसे पुरस्कारों की घोषणा।</p> <p>10. धर्माचार्यों, स्थापत्य विशेषज्ञों व पुराविदों के साथ समन्वय संरक्षण और आध्यात्मिक मूल्यों में संतुलन हेतु धर्माचार्य व संरक्षण विशेषज्ञ एक साथ बैठें।</p> <p>“धार्मिक धरोहर संवाद मंच” का गठन।</p>
--	--	---

27.	जल संचयन एवं संरक्षण प्रकोष्ठ	<p>1. वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहन घरों, संस्थानों, मंदिरों, गुरुद्वारों, स्कूलों आदि में वर्षाजल संचयन प्रणाली स्थापित करने हेतु मार्गदर्शन व तकनीकी सहायता।</p> <p>“एक भवन – एक जलसंचय कुंड” अभियान।</p> <p>2. परंपरागत जल स्रोतों का संरक्षण और पुनर्जीवन तालाब, बावड़ी, कुंए, जलाशय, जोहड़, नाड़ी, झीलें आदि का पुनरुद्धार, सफाई, सीमांकन एवं सौंदर्यीकरण।</p> <p>“अपने गाँव का तालाब, अपनी पीढ़ियों का जल भविष्य” अभियान।</p> <p>3. जल-संवेदनशील ग्राम/शहर अभियान प्रत्येक क्षेत्र में “जल मित्र ग्राम/नगर” की घोषणा एवं जल पंचायतों का गठन।</p> <p>“बूंद-बूंद जीवन यात्रा” के माध्यम से जन-जागरूकता।</p>
-----	-------------------------------	---

		<p>4. विद्यालय एवं कॉलेजों में जल शिक्षा कार्यक्रम “जल चेतना पाठ्यक्रम”, जल क्विज, चित्रकला, पोस्टर प्रतियोगिता, रैली और जल सप्ताह का आयोजन।</p> <p>बच्चों में जल नीति, जल संकट और समाधान विषयक शिक्षण।</p> <p>5. जल उपयोग दक्षता एवं अपव्यय रोकथाम सिंचाई, घरेलू उपयोग, संस्थागत जलखपत में जल माप, रिसाव नियंत्रण, पुनः उपयोग जैसे उपायों को अपनाने हेतु जागरूकता।</p> <p>“कम जल – अधिक कार्य” तकनीकों का प्रचार।</p> <p>6. ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब आधारित जल योजना तालाब-खेत-कुएं का पारंपरिक संबंध पुनः स्थापित कर भूजल स्तर सुधारना।</p> <p>फार्म पोंड योजना, जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम से सहयोग।</p>
--	--	---

		<p>7. शुद्ध जल संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन से निपटने की तैयारी जल शुद्धिकरण, फ्लोराइड/आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों के लिए फिल्ट्रेशन यूनिट्स।</p> <p>“जल सुरक्षा और जलवायु संतुलन” विषय पर शोध एवं कार्यशालाएँ।</p> <p>8. शहरों में जल री-साइक्लिंग और ग्रे-वॉटर प्रबंधन रसोई, स्नान, वॉशिंग मशीन के जल का पौधों, शौचालय फलश, सफाई कार्यों में दोबारा उपयोग हेतु पुनर्प्रक्रिया तकनीकों को बढ़ावा।</p> <p>रेन वाटर हार्वेस्टिंग. ग्रे वॉटर यूज = समग्र समाधान।</p> <p>9. “जल योद्धा” और “जल प्रहरी” कार्यक्रम युवा, स्वयंसेवी, एनजीओ, ग्राम प्रतिनिधियों को “जल योद्धा” या “जल प्रहरी” घोषित कर स्थानीय निगरानी और सुधार कार्य में सहभागी बनाना।</p>
--	--	--

28.	पुरुष सहायता एवं परामर्श प्रकोष्ठ	<p>1. दांपत्य एवं पारिवारिक संघर्षों से जूझ रहे पुरुषों को परामर्श पति-पत्नी विवाद, अलगाव, संतान से वंचितता, सास-ससुर पक्ष के दबाव जैसे विषयों पर पारिवारिक परामर्श सत्रों का आयोजन।</p> <p>“संवाद से समाधान” – मध्यस्थता के माध्यम से रिश्तों को सुधारने की पहल।</p> <p>2. विधिक सहायता और पुरुष अधिकारों की रक्षा घरेलू हिंसा अधिनियम, बलात्कारी अभियोग, भरण-पोषण विवाद आदि के दुरुपयोग के मामलों में उचित कानूनी सलाह, दस्तावेजी सहयोग, केस मार्गदर्शन प्रदान करना।</p> <p>“न्याय पुरुष के लिए भी” जैसे विधिक साक्षरता अभियान।</p> <p>3. मानसिक स्वास्थ्य सहायता एवं काउंसलिंग अवसाद, आत्महत्या की प्रवृत्ति, अपमान, नौकरी/पारिवारिक दबाव आदि से जूझ रहे पुरुषों के लिए काउंसलिंग, समूह-चिकित्सा, ध्यान सत्र आयोजित करना।</p>
-----	-----------------------------------	---

		<p>मनोवैज्ञानिक हेल्पलाइन एवं सीमित पहचान सुनिश्चित करना।</p> <p>4. एकल पुरुषों, तलाकशुदा या विधुर पुरुषों के लिए सामाजिक सहयोग सामाजिक बहिष्कार, संतान वंचन, सामाजिक लांछन से पीड़ित पुरुषों के लिए सहायता समूह और सकारात्मक मंच बनाना।</p> <p>5. न्यायिक और पुलिस प्रक्रिया में पुरुषों की सहायता गिरफ्तारी पूर्व सलाह, जमानत प्रक्रिया, फर्जी केस की रोकथाम हेतु वकीलों और अधिकार विशेषज्ञों से संपर्क।</p> <p>थाना स्तर पर पुरुष हेल्प वॉलंटियर नियुक्ति।</p> <p>6. समाज में पुरुष-नारी संतुलन की सकारात्मक चर्चा स्त्री पुरुष एक-दूसरे के विरोधी नहीं, पूरक हैं — इस विचार को फैलाते हुए “समानता संवाद मंच” का गठन।</p>
--	--	--

		<p>परिवार, स्कूलों और मीडिया में लिंग-संतुलन आधारित संवाद।</p> <p>7. झूठे मुकदमों के विरुद्ध तथ्यों का संकलन और दस्तावेजीकरण फर्जी केस, मानसिक उत्पीड़न, आत्महत्या के मामलों की डिजिटल रिपोर्टिंग, साक्ष्य संकलन, आंकड़ों का प्रकाशन।</p> <p>“पुरुष अधिकार रिपोर्ट – वार्षिक दस्तावेज” का प्रकाशन।</p> <p>8. न्याय नीति में संतुलन हेतु याचिकाएं एवं जन-अभियान विधि आयोग, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, सुप्रीम कोर्ट में संतुलित कानून निर्माण हेतु ज्ञापन/याचिकाएँ।</p> <p>9. पुरुष सहायता नेटवर्क का निर्माण 24•7 पुरुष सहायता हेल्पलाइन, WhatsApp समाधान समूह, परामर्श शिविर।</p>
--	--	---

		<p>“पुरुष साथी – पुरुषों का भाईचारा नेटवर्क” ।</p> <p>10. मीडिया, साहित्य और शिक्षा में पुरुष संवेदनशीलता को बढ़ावा पुस्तिकाएँ, लेख, सेमिनार, डॉक्यूमेंट्री, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से “पुरुष भी पीड़ित हो सकते हैं” का सच सामने लाना ।</p>
29.	सर्वधर्म चिकित्सा सेवा प्रकोष्ठ	<p>1. निःशुल्क बहुविध चिकित्सा शिविरों का आयोजन ग्रामीण, आदिवासी, शहरी झुग्गी, आपदा-प्रभावित और धार्मिक तीर्थ क्षेत्रों में निःशुल्क सर्वधर्म चिकित्सा सेवा शिविर लगाना ।</p> <p>आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्ध, योग, नैचुरोपैथी को एक मंच पर समाहित करना ।</p> <p>2. सर्वधर्म चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ व सेवकों का नेटवर्क विभिन्न धर्मों से जुड़े डॉक्टर, नर्स, मेडिकल वॉलंटियर्स, छात्र-छात्राओं को “सर्वधर्म चिकित्सक सेवा समूह” में संगठित करना ।</p>

		<p>“सेवा ही धर्म है” के भाव से चिकित्सीय सहयोग।</p> <p>3. स्वास्थ्य शिक्षा एवं जनजागरूकता अभियान संक्रामक रोग, महिला स्वास्थ्य, किशोरावस्था शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण आदि पर प्रचार-प्रसार, नुक्कड़ नाटक, हैंडबिल्स, सत्र आयोजित करना।</p> <p>“सेहत धर्म का पहला कर्तव्य” अभियान।</p> <p>4. धार्मिक मेलों, यात्राओं व त्योहारों में चिकित्सा सेवा केंद्र कुंभ, उर्स, अमरनाथ यात्रा, हज, गुरुपर्व, रामनवमी, ईद आदि धार्मिक आयोजनों पर सेवा शिविर, प्राथमिक उपचार केंद्र, स्वास्थ्य परामर्श बूथ लगाना।</p> <p>5. गरीब, बेसहारा, वृद्ध और दिव्यांगों के लिए चिकित्सीय सहयोग औषधि, जाँच, ऑपरेशन, उपकरण, पुनर्वास सुविधा प्रदान करना साथ ही जरूरतमंदों को सहयोग निधि से सहायता।</p>
--	--	--

		<p>6. रक्तदान, नेत्रदान, अंगदान प्रोत्साहन अभियान सभी धर्मों के दृष्टिकोण के साथ "सर्वधर्म अंगदान प्रेरणा अभियान", "रक्तदान महादान" जैसे आयोजन।</p> <p>7. आपदा/महामारी के समय त्वरित चिकित्सीय मोर्चा भूकंप, बाढ़, महामारी, आग, जनसंहार जैसी आपदाओं में "सर्वधर्म सेवा चिकित्सक रैपिड रिस्पॉन्स टीम" का गठन और कार्यवाही।</p> <p>8. मानसिक स्वास्थ्य एवं आत्महत्या निवारण परामर्श डिप्रेशन, अकेलापन, पारिवारिक तनाव, व्यसन मुक्त जीवन के लिए काउंसलिंग, ध्यान, प्रार्थना सत्र आदि का आयोजन।</p> <p>9. सर्वधर्म औषधालयों एवं सेवा केंद्रों की स्थापना स्थायी सेवा केंद्र, चलित चिकित्सा वाहन (मोबाइल क्लिनिक), औषधि वितरण केंद्र, "सर्वधर्म सेवा स्वास्थ्य घर"।</p> <p>10. चिकित्सा के माध्यम से शांति और एकता को बढ़ावा</p>
--	--	--

		<p>“सेवा से सौहार्द” अभियान के अंतर्गत सामूहिक सेवा कार्य, जिससे विभिन्न धर्मों के लोगों में विश्वास, भाईचारा और करुणा का प्रसार हो।</p>
30.	<p>लोक सूचना एवं जागरूकता प्रकोष्ठ</p>	<p>1. सार्वजनिक सूचना का प्रसार शासन, समाज, परिषद, अथवा संगठन से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं, नीतियों, योजनाओं, जनहित घोषणाओं को समयबद्ध रूप से लोगों तक पहुँचाना।</p> <p>सूचना के विभिन्न माध्यमों (पोस्टर, ब्रोशर, वेबसाइट, SMS, सोशल मीडिया) का उपयोग करना।</p> <p>2. सूचना का अधिकार के प्रति जागरूकता नागरिकों को अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना माँगने का प्रक्रियात्मक प्रशिक्षण देना।</p> <p>“सूचना का अधिकार – जनशक्ति का अस्त्र” अभियान।</p> <p>3. सरकारी योजनाओं व सेवाओं की जानकारी जन-जन तक पहुँचाना</p>

		<p>स्वास्थ्य, शिक्षा, पेंशन, महिला-बाल विकास, ग्रामीण विकास, स्कॉलरशिप, रोजगार जैसी योजनाओं की जानकारी का संकलन और प्रचार।</p> <p>“योजना आपके द्वार” कार्यक्रमों का संचालन।</p> <p>4. साक्षरता और सूचना-सुलभता को बढ़ावा कम पढ़े-लिखे या ग्रामीण क्षेत्रों में ऑडियो-विजुअल सामग्री, चित्रात्मक सूचना पैनल, क्षेत्रीय भाषाओं में संप्रेषण।</p> <p>“बोलती सूचना – समझती जनता” अभियान।</p> <p>5. सोशल मीडिया, वेबसाइट एवं डिजिटलीकरण के माध्यम से सूचना संप्रेषण परिषद की गतिविधियों, कार्यक्रमों और निर्णयों को ई-न्यूज, सोशल मीडिया पोस्ट, चैनलों, वेबसाइट अपडेट के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचारित करना।</p> <p>6. सूचना के दुरुपयोग, भ्रामक प्रचार एवं अफवाहों का खंडन</p>
--	--	--

		<p>गलत सूचनाओं का खंडन, तथ्य आधारित फीडबैक, डिजिटल साक्ष्य के माध्यम से जनता को गुमराह होने से बचाना।</p> <p>7. सूचना केंद्र/हेल्प डेस्क / टोल-फ्री हेल्पलाइन संचालन सूचना हेतु स्थायी केंद्र या हेल्प डेस्क, फोन लाइन, ऑनलाइन चैट सेवा की स्थापना और संचालन।</p> <p>नागरिकों की शिकायतों, सुझावों, मांगों का स्वागत और समाधान।</p> <p>8. लोक शिक्षा अभियान एवं जनसंवाद आयोजन प्रेस वार्ता, नुक्कड़ नाटक, संवाद सत्र, शिविर, जागरूकता रैलियाँ आयोजित कर लोगों को सूचनाओं के प्रति सजग बनाना।</p> <p>“सच जानो – सच चुनो” जैसे नारों का प्रयोग।</p> <p>9. सूचना रिपोर्टिंग और दस्तावेजीकरण प्रणाली</p>
--	--	---

		<p>प्रकोष्ठ द्वारा संप्रेषित समस्त सूचनाओं का दस्तावेजीकरण, संग्रहण और विश्लेषण करना।</p> <p>“सूचना वार्षिक प्रतिवेदन” प्रकाशित करना।</p> <p>10. अन्य प्रकोष्ठों एवं विभागों से समन्वय स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला, विधिक, प्रशासनिक प्रकोष्ठों के साथ मिलकर उनके कार्यों की सूचना जनसमुदाय तक पहुँचाना।</p>
31.	विश्व अधिवक्ता संवाद प्रकोष्ठ	<p>1. अंतरराष्ट्रीय अधिवक्ताओं से विधिक संवाद और सहयोग विभिन्न देशों के अधिवक्ताओं, लॉ फर्मस, बार काउंसिल्स और न्यायविदों से संवाद सेतु स्थापित करना।</p> <p>“Global Legal Dialogue Series” जैसी नियमित बैठकें आयोजित करना।</p> <p>2. अंतरराष्ट्रीय विधिक सम्मेलनों, कार्यशालाओं और अधिवक्ता मंचों का आयोजन</p>

		<p>Law & Humanity, Interfaith Justice, Human Rights Law, Peace & Legal Diplomacy विषयों पर वैश्विक स्तर के कान्फ्रेंस / सेमिनार ।</p> <p>अधिवक्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम ।</p> <p>3. मानवाधिकार, पर्यावरण, शांति और न्याय पर संयुक्त अधिवक्ता घोषणाएँ</p> <p>International Declarations; Consensus Papers के माध्यम से वैश्विक कानूनी सहमति और समर्थन पत्र बनाना ।</p> <p>Justice for Humanity Charter जैसी घोषणाओं को बढ़ावा देना ।</p> <p>4. विधिक अनुसंधान एवं अंतरराष्ट्रीय न्याय व्यवस्था का अध्ययन</p> <p>विभिन्न देशों की न्याय प्रणाली, संविधान, मानवाधिकार अधिनियम, विधिक संरचना पर अनुसंधान और तुलनात्मक अध्ययन रिपोर्ट तैयार करना ।</p>
--	--	---

		<p>Comparative Law Journal का प्रकाशन।</p> <p>5. संयुक्त राष्ट्र, आईसीजे, NALSA एवं वैश्विक विधिक संस्थानों से समन्वय UNHRC, International Court of Justice, World Justice Project जैसे संगठनों के साथ विधिक सहयोग और प्रतिनिधित्व।</p> <p>6. विश्व स्तर पर पीड़ितों को विधिक सहायता एवं वकालत युद्ध, शोषण, मानव तस्करी, धार्मिक उत्पीड़न आदि से प्रभावित पीड़ितों के लिए कानूनी परामर्श, याचिका सहायता, वकालत समर्थन।</p> <p>7. अंतरराष्ट्रीय अधिवक्ताओं की रजिस्ट्री एवं संवाद मंच</p> <p>One Law – One World संवाद मंच।</p> <p>8. विधिक शिक्षा, छात्रवृत्ति एवं इंटरनशिप कार्यक्रम</p>
--	--	--

		<p>लॉ छात्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय विधिक इंटरनशिप, स्कॉलरशिप, ई-क्लास, केस स्टडी प्रतियोगिता का आयोजन।</p> <p>9. सांस्कृतिक न्याय अवधारणाओं पर वैश्विक चर्चा विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों में न्याय, दया, दंड, क्षमा, मानवता की व्याख्याओं पर संवाद और शोध।</p> <p>10. "विश्व अधिवक्ता सप्ताह" या Global Law Week का आयोजन</p> <p>11. प्रत्येक वर्ष "न्याय, सेवा, अधिकार और विश्व बंधुत्व" के मूल्यों पर आधारित कार्यक्रमों की श्रृंखला। प्रभावित/वंचित व्यक्तियों को विधिक सहायता उपलब्ध कराना</p> <p>मानवाधिकार, शरणार्थी, युद्धपीड़ित, धार्मिक उत्पीड़न आदि से जुड़े पीड़ितों को उचित अधिवक्ता मार्गदर्शन देना।</p> <p>12. सदस्यता विस्तार में सहयोग</p>
--	--	--

		<p>योग्य अधिवक्ताओं, विधिक छात्रों, प्रोफेसरों को सदस्यता हेतु प्रेरित करना।</p> <p>13. न्याय आधारित संवाद को बढ़ावा देना “न्याय संवाद से, संघर्ष नहीं” इस भावना के तहत विवाद समाधान व संवाद का समर्थन।</p> <p>संयुक्त उत्तरदायित्व:—</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ न्याय, समरसता और मानव गरिमा की रक्षा हेतु समर्पित रहना। ➤ संगठन की गरिमा, वैचारिक एकता और विधिक तटस्थता बनाए रखना। ➤ व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रकोष्ठ का उपयोग न करना। ➤ सभी संवादों में शालीनता, तथ्यात्मकता और विधिक मर्यादा रखना।
--	--	---